साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 36 05 - 11 सितंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

चुनाव सुधार और राजनीतिक अनिच्छा पृष्ठ-6

बेरोजगारी की महामारी पृष्ठ-7

संसद में चर्चा का गिरता हुआ स्तर

ज़िम्मेदार कौन?

क्या राजनैतिक पार्टियां इस ओर ध्यान देंगी?

संसद का मानसून सत्र जिस तरह अपने अंजाम को पहुंचा वह हर देशभक्त नागरिक के लिए चिंता की बात है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना ने इस बारे में जो चिंता व्यक्त की है वह बहरहाल एक चिंता का विषय है।

संसद का मानसून का सत्र पूरे देश को 'नम' करने के साथ ही समूची संसदीय प्रणाली को नियमों की अवमानना के आंसुओं से भिगो कर जा रहा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हालांकि यह ऐसा पहला सत्र कहा जायेगा जिसमें संसद चलने के नाम पर 'हिली' नहीं (लोकसभा व राज्यसभा में केवल एक दिन के कुछ घंटों को छोड़कर) और इसकी कुल 18 बैठकों में विधेयक पर विधेयक भारी शोरगुल और हंगामे में पारित हो गये। इसके साथ ही राज्यसभा में जो हंगामा बरपा हुआ और कृषि क्षेत्र की समस्या को लेकर होने वाली चर्चा को लेकर सदन के नियमों के बारे में जो विवाद पैदा हुआ और उसका परिणाम सदन में महासचिव की मेज़ पर कांग्रेस के सांसद श्री प्रताप सिंह बाजवा के चढ़ने और नियम पुस्तिका को फेंकने से हुआ, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि संसद में विधायिका अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की मुद्रा में है उससे कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली की पवित्रता और शुचिता संशय के घेरे में आ रही है। प्रश्न यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में सदन के भीतर राजनीतिक दलों के पाले बदलते रहते हैं। अत: मूल प्रश्न संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता का है जिसे क़ायम रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे हाथ में ऐसी प्रणाली सौंपी थी जिसका अनुसरण करते हुए हम हर परिस्थिति में संसद की गरिमा और पवित्रता क़ायम रखने में सफल होते रहें। परंतु संसद के वर्षाकालीन सत्र में जो हालात शुरू से ही बने उन्होंने पूरी प्रणाली को ही संकट में डालने का काम इस तरह किया। संसद में किसी विषय पर बहस ही न हो सके। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टालने के विविध उपक्रम होने के बावजूद दोनों पक्षों का अपनी-अपनी ज़िद पर अड़े रहना बताता है कि हम उस मुक़ाम पर पहुंच गये हैं जहां जनहित वे लोकहित के स्थान पर दलीय हित आ जाते है। विशेषकर कृषि क़ानूनों को राज्यसभा में जिस तरह इसके उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की सदारत में पहले के सत्र में पारित किया गया था उससे संसदीय नियमों की पवित्रता बुरी तरह शक के घेरे में आ गई थी और विपक्षी सांसदों ने इस बारे में संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति तक को ज्ञापन यिा था। यह हमारे सांवैधानिक प्रकृति के लिए एक चुनौती थी। मगर इसके साथ ही मानसून सत्र एक और चुनौती देकर चला गया कि संसद के सुचारू रूप से न चलने के बावजूद सरकार अपना विधायी कार्य शोर-खराबे और हंगामे के बीच ही करा सकती है। यह चिंतनीय इसलिए है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां संसद को अप्रासंगिक समझने की ग़लत प्रेरणा ले सकती हैं।

संसदीय लोकतंत्र में यह परंपरा हम स्थापित करते हैं तो देश की आधी से ज़्यादा जनता की आवाज़ को दरकिनार करने का कार्य करते हैं साथ ही विपक्ष का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बात उस जनता की ओर से, जिसने उसे चुना है, संसद में रखने की ऐसी विधि निकाले जिससे उसका विरोध भी दर्ज होता रहे और संसद भी चलती रहे। इस काम में दोनों के अध्यक्ष की महती भूमिका है क्योंकि वे सदन में बैठने वाले हर सदस्य के प्रतिनिधि होते है क्योंकि राज्यसभा में श्री प्रताप सिंह बाजवा ने जो कुछ भी किया वह उसे जायज़ ठहरा रहे हैं जबकि सदन के सभापति वेंकैया नायडू उनके व्यवहार से बहुत नाराज़ हैं इससे बचने को केवल एक ही रास्ता है कि सदन अपने बनाये हुए नियमों का अक्षरश: पालन करते हुए चले क्योंकि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं होता बल्कि संसदीय प्रणाली के तहत यह 'विधायिका' के विधि सम्मत अधिकारों के प्रयोग से

बाक़ी पेज 11 पर

इर्तेदाद से बचाने के लिए बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम ज़रूरी : मौलाना महमूद मदनी

मौलाना सद्दीकुल्लाह चौधरी साहब पश्चिमी बंगाल जमीयत उलेमा के अध्यक्ष चुने गए।

बीते 28 अगस्त 2021 को जमीयत भवन दमदम मदनी नगर में जमीयत उलेमा पश्चिमी बंगाल का इंतख़ाब अमल में आया जिसमें, प. बंगाल के 19 ज़िलों के 450 मजलिसे मुंतज़मा के सदस्य हज़रात ने शिरकत की। और मुशाहिदीन की हैसियत से जांनशीन फिदाय मिल्लत, जमीयत उलेमा0-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद असअद मदनी साहब भी शामिल थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की निगरानी में और लोगों के मश्वरे के बाद, मौलाना सद्दीकुल्लाह चौधरी को अध्यक्ष प. बंगाल और उपाध्यक्षों में मौलाना मंज़ूर आलम प्रोफेसर मदरसा आलिया, मौलाना अब्दुस्सलाम रहीमी जयनगर, क़ारी फज़्लुर्रहमान इमाम इदैन कोलकाता, मौलाना अरशद अली ख़ान ख़लीफ़ा हज़रत फिदाय मिल्लत नाडिया, मौलाना अब्दुल बारी ख़लिफा मौलाना यूसुफ कूच बिहार, मौलाना अब्दुल हमीद क़ासमी मंगलाहाट चुने गए। कोषाध्यक्ष खलीलुर्रहमान आरिफ़ कलकत्ता को चुना गया। इसी तरह से हर क्षेत्र के ज़िम्मेदारों ने अपने अपने क्षेत्र, ज़िले की रिपोर्टें भी पेश कीं। इन तमाम चीज़ों से फारिग़ होने के बाद मौलाना महमूद मदनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिन्द ने सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष जमीयत उलेमा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा 'हमारे अकाबिरिन और अस्लाफ ने और हमारे उलेमा ने हमारे ज़िम्मे तीन काम लगाए हैं (1) पढ़ना और पढ़ाना की हैसियत से हमें दारुल उलूम देवबंद दिया, (2) दावत की हैसियत से हमें तब्लीग़ दिया, (3) ख़िदमते खल्क़ की हैसियत से हमें जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की ज़िम्मेदारी सौंपी। ये तीन ज़िम्मेदारियां ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं जिसके बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह हर एक मुसलमान से ज़रूर पूछेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तीनों में से जिस भी ज़िम्मेदारी को हम अदा कर रहे हैं तो उसको बख़ूबी अंजाम दें। ये ज़िम्मेदारी ऐसी ज़िम्मेदारी है जैसे बार्डर पर खड़े एक फौजी की ज़िम्मेदारी जैसी है। अगर सैनिक सरहद से हट जाए तो उस देश को ख़तरा होता है कि कहीं उसके देश की सीमा में कोई न घूस आए या कब्ज़ा न कर ले। हम भी उसी फौजी की तरह है हम भी सीमा पर खड़े होकर अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह समझ कर निभाएं, ऐसा न हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करे और हमारे पास इसका जवाब न हो। हमारे पूर्वज हम से पूछे, हमारे अकाबिरिन उलेमा कराम हम से पूछे तो हम उनकी पकड़ आए जाएं हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। वह पूछेंगे कि हमने बड़ी मुश्किल से तीनों को परवान चढ़ाया था, तुमने उन तीनों चीज़ों के साथ क्या किया, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "मैं अपना खुद का तर्जुबा बता रहा हूं। मेरे यहां कुछ राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, उसमें से बहुत से पश्चिमी बंगाल से संबंध रखने वाले है और मुसलमान हैं, मैंने उनको बुलाकर कहा तुम कलिमा जानते हो, उसमें से कोई एक ही होगा जिसने मुझे पूरा कलमा सुनाया होगा, वर्ना सारे ये कह रहे थे कि कलिमा क्या होता है। ये निहायत ही अफसोस की बात है।" इसी तरह से मुसलमान बच्चियां ग़ैर मुस्लिमों से शादियां कर रही है, उनको रोकने के लिए जमीयत उलेमा-हिन्द के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम मकातिब स्थापित किए जाए। जहां मुसलमानों को कम से कम कलमा-कुरआन और निजी ज़रूरी मसायल के एतबार से उन तमाम चीज़ों से उनको शिक्षा दी जाए। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की फिक्र करें, वर्ना कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तौफिक़ अता फरमाए।" सभा की समाप्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की दुआ के साथ हुई। ❑❑

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े से इतनी ख़ौफ़ में क्यों है दुनिया?

31 अगस्त की आख़िरी समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान को छोड़ दिया। ऐसा क्यों लगता है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान ने जिस तेज़ी के साथ कब्ज़ा किया, वह भारत सरकार की समझ और सोच से परे निकला? अब पूरे देश के लोग अमेरिका के बाइडेन प्रशासन पर उंगलियां उठा रहे हैं। दरअसल भारत के लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि बाइडेन प्रशासन को अपने सैनिकों को वापस बुलाने की इतनी जल्दी क्या थी। लगातार बीस सालों तक अफ़ग़ानिस्तान में इतने संसाधन और पैसे ख़र्च करने के बावजूद बिना कुछ हासिल किए वे इस युद्ध जर्जर देश को तालिबान की मनमानी सहने के लिए क्यों छोड़ गए। अमेरिका के पिछले दो प्रशासन (बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प) बार-बार यह बताते रहे कि वे अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हैं, लेकिन ओबामा या ट्रम्प इस योजना में सफल नहीं हो सके। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों को आनन-फानन में वापस बुला लिया। पहले उन्होंने कहा था कि हम अफ़ग़ानिस्तान से सभी अमेरिकियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन अमेरिकी सैनिक जिस तरह से लौटे उसे दुनियाभर ने देखा। इसी कारण दुनिया भर में जो बाइडेन की आलोचना हो रही हे। हालांकि राष्ट्रपति बाडेन ने सफाई पेश करते हुए कहा कि अगर अफ़ग़ानिस्तान के तीन लाख सैनिकों वाली सेना, जिसे अमेरिकी शासन ने पिछले दो दशक से पाल पोसकर प्रशिक्षित किया और तालिबान से मुकाबला करने के लिए तैयार किया, अपने देश की रक्षा नहीं करना चाहती, तो इसके लिए अमेरिकी प्रशासन अपने सैनिकों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकता

इस संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि दस खरब डॉलर खर्च करके एक आधुनिक अफ़ग़ान सेना (अफ़ग़ान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सज) खड़ी की गई। अफ़ग़ानिस्तान से अपनी वापसी से पहले जून में अमेरिका ने अफ़गानी सेना को छह लाइट एटैक हैलीकॉप्टर्स, 174 बख़्तरबंद गाड़ियां, दस हजार 2.75 इंच के रॉकेट्स, इकसठ हजार 40 मिमी हाई एक्सप्लोसिव गोलियां, नौ लाख 0.50 कैलिबर गोलियां और बीस लाख 7. 62 मिमी की गोलियां दीं। संक्षेप में कहें, तो अफ़ग़ान एयर फोर्स के पास 45 ब्लैकहॉक हैलीकाप्टर्स, 56 मि 17 और कई सी-130 ट्रांसपोर्ट जहाज हैं। संभव है कि ये सब हथियार तालिबान के हाथ लग गए हों।

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने के बाद भारत एक भारी अंतर्द्वंद्व से गुज़र रहा है। पिछले बीस सालों में भारत सरकार ने वहां तीन अरब डॉलर की लागत से सड़क, पुल, इमारतें और यहां कि संसद भवन बनवाया है। भारत के लोगों के मन में यह प्रश्न है कि क्या तालिबान भारतीय निवेश से बने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। क्या अफ़ग़ानिस्तान की सरकार और वहां की जनता भारत के उस योगदान को भूल जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके लिए अशरफ़ ग़नी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो काबुल में तालिबान के प्रवेश करने से पहले ही देश छोड़कर भाग गए। यह स्वाभाविक ही नहीं, बल्कि यथार्थ भी है। अशरफ़ ग़नी के पलायन के कारण ही मज़बूत स्थिति होने के बावजदू अफ़ग़ान सेना ने एक तरह से अपने हथियार डाल दिए। जब नेतृत्व दुम दबाकर भागता है, तो ऐसा ही होता है।

स्वाभाविक है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने के बाद भारत एक भारी अंतर्द्वंद्व से गुज़र रहा है। पिछले बीस सालों में भारत सरकार ने वहां तीन अरब डॉलर की लागत से सड़क, पुल, इमारतें और यहां कि संसद भवन बनवाया है। भारत के लोगों के मन में यह प्रश्न है कि क्या तालिबान भारतीय निवेश से बने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। क्या अफ़ग़ानिस्तान की सरकार और वहां की जनता भारत के उस योगदान को भूल जाएगी, जिसकी बदोलत वहां बांध, राजमार्ग, व्यापारिक आधारभूत संचरनाएं खड़ी की गई? ऐसे में भारत की तल्ख़ी और चिंता स्वाभाविक है।

लेकिन इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अफ़ग़ानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को तेज़ी से और सुरक्षित अपने देश में वापस लौटाना। इसकी अनदेखी किसी भी हालत में नहीं की जा सकती और उम्मीद है कि केन्द्र सरकार तत्परता से सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी। इन दिनों अफ़ग़ानिस्तान के घटनाक्रम की चर्चा काफी है। लोगों के निशाने पर सिर्फ अमेरिकी प्रशासन ही नहीं, बल्कि भारतीय शासन भी है। सालों पुरानी अमेरिकी विरोधी चीत्कार फिर से सुनाई देने लगी। एक फोरम में सुनने को मिला कि 'अमेरिकी ने तो पहले विश्वासपात्र थे, न आने वाले सालों में होंगे। वहीं एक भारतीय राजनयिक ने टिप्पणी की कि अमेरिकी हमेशा अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं और उनके द्वारा फैलाई गंदगी किसी और को साफ करनी पड़ती है। कुछ लोग भारतीय खुफिया एजेंसीयों को खुले शब्दों में निकम्मा घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इस साज़िश को हम पकड़ नहीं पाए।

हमें पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े इतिहास की पूरी जानकारी है। सोवियत नेताओं को असहाय बनाने का श्रेय भी पाकिस्तान को ही मिला था, जहां अमेरिकी सीआईए ने

बाक़ी पेज 11 पर

कोरोना से माता-पिता खोने वाले छात्रों की फीस माफ़ होगी

डीयू के कई कॉलेजों ने कोरोना से अभिभावकों को खोने वाले छात्रों की नए सत्र में फीस माफ करने की घोषणा की है। साथ ही छात्रों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कई कॉलेजों ने छात्रों की मदद को लेकर अपने यहां गवर्निंग बॉडी में चर्चा की। डीयू में पहली बार छात्रों का बीमा कराने वाले रामानुज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एस.पी. अग्रवाल ने बताया कि उनके यहां के कई छात्रों ने अपने परिजन कोरोना के कारण खोए हैं। कॉलेज ने ऐसे छात्रों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। फीस भी माफ की है। उन्होंने कहा कि अब जो नए छात्र हमारे यहां दाख़िला लेंगे, उनका भी बीमा कराया जाएगा। साथ ही यदि उनमें से किसी छात्र के माता पिता या दोनों में एक की भी कोरोना से मौत हुई होगी तो हम उसकी पूरी फीस माफ़ करेंगे। लेकिन दाख़िले के समय छात्र को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अपनी फीस देनी होगी। दाख़िले के बाद फीस लौटा दी जाएगी।

राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. राजेश गिरी ने बताया कि पुराने छात्रों की तरह हम नए छात्रों की फीस भी माफ़ करेंगे। दाख़िले के समय प्रथम वर्ष की डीयू फीस के पास जाती है, इसलिए छात्र को यह फीस पहले देनी होगी। बाद में यह फीस वापस ले सकता है पर द्वितीय वर्ष में उसे फीस नहीं देनी होगी। कोरोना काल में हमने छात्रों की हर संभव मदद की है और आगे भी करेंगे। हम किसी छात्र की पढ़ाई वित्तीय समस्या के कारण बाधित नहीं होने देंगे।

डीयू के साउथ कैंपस स्थित आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ॰ ज्ञानतोष झा का कहना है कि हमारे यहां कोरोना से अभिभावक खोने वाले सभी छात्रों की पूरी फीस माफ़ होगी। लेकिन पहले उसे दाख़िला लेना होगा और फीस जमा करनी होगी। उसके बाद कॉलेज फीस वापस कर देगा। कोरोना के दौरान अपने परिजन खोने वाले 12 छात्रों की पूरी फीस माफ की गई है और लगभग 350 उन छात्रों की 2 से 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई जो किसी न किसी कारण प्रभावित थे। कॉलेज प्रशासन की ओर से इसके लिए लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की गई। नए सत्र में ज़रूरतमंद छात्रों के लिए फिर धन जारी किया जाएगा। ❑❑

दिल्ली पुलिस के हर थाने में बनेगी जांच विंग

पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की पहल पर पर दिल्ली पुलिस में एक सितम्बर से बड़े परिवर्तन होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस के थानों में अलग से जांच विंग बनेगी। इंस्पेक्टर तफ्तीश विंग का प्रभारी होगा। इंस्पेक्टर तफ्तीश व उसकी टीमें लॉ एंड ऑर्डर की डयूटी नहीं करेंगी। उसकी देख-रेख में सात से आठ टीमें बनाई जाएंगी। इन टीमों में सब इंस्पेक्टर, हवलदार व सिपाही होंगे। जांच विंग में तैनात टीमें सिर्फ केसों की जांच कर जल्द निपटारा करेंगी। इसके अलावा अब पुलिस थाने में एटीओ (एंटी टेरिस्ट ऑफिसर) व तफ्तीश (ब्रेवो) इंस्पेक्टर की तैनाती अब जिला डीसीपी करेंगे। अभी तक इनकी तैनाती पुलिस मुख्यालय से होती है। वहीं थाने में तैनात एटीओ इंस्पेक्टर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की डयूटी करेंगे। एटीओ इंस्पेक्टर व उसकी टीमें किसी भी केस की जांच नहीं करेंगी। इन दोनों इंस्पेक्टर के ऊपर सुपरवीन थानाध्यक्ष का होगा। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार हालांकि ये नियम पहले से था और दिल्ली पुलिस के हर ज़िले के एक दो थाने में लागू था। अब इसे सभी थाने में एक सितंबर से लागू किए जाने की योजना है। हालांकि दिल्ली पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर का कहना है कि ये परिवर्तन सफल नहीं होगा।

दिल्ली को मिला देश का पहला स्मॉग टॉवर

प्रदूषण से जंग के लिए दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टॉवर लगाया है। यह टॉवर एक किमी के दायरे में हवा को साफ करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि बेहतर नतीजे मिलने पर पूरी दिल्ली में ऐसे टॉवर लगाए जाएंगे। स्मॉग टॉवर प्रति सेकेंड 1000 घन मीटर हवा साफ करेगा। केजरीवाल ने कहा कि यह एक नई तरह की तकनीक है। अब तक देश में ऐसा कोई टॉवर नहीं लगाया गया है और न ही इस तरह से हवा साफ करने के प्रयास किए गए। इस तकनीक को अमेरिका से आयात किया गया है। 24 मीटर ऊंचा यह टॉवर ऊपर से आसपास के एक किमी के दायरे की हवा को खींचेगा। इसके बाद नीचे पंखें से शुद्ध हवा निकलेगी।

आइआइटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञ दो वर्ष तक इसके डाटा का विश्लेषण करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बारिश खत्म होते ही टॉवर चालू कर दिया जाएगा। 24.2 मीटर ऊचाई, 5000 फिल्टर युक्त, आरसीसी और स्टील संरचना से बना यह टॉवर जिसमें 40 पंखें लगे हैं। यह अपनी तरह का पहला टॉवर बताया जा रहा है जो प्रदूषण के स्तर को घटाने में मददगार साबित होगा। दिल्ली सरकार की इस पहल को प्रदूषण घटाने के तौर पर एक बड़ी सफलता होने के तौर पर देखा जा रहा है।

संपादकीय

शांति मिशन

कितनी कारगर साबित होगी विपक्ष की एकता

विपक्षी दल अपने ही फीडबैक से उत्साहित हैं कि नरेन्द्र मोदी का जादू ख़त्म हो रहा है। एक मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई। फिलहाल दो चीज़ें मोदी के ख़िलाफ़ जा रही है -एक तो देश की आर्थिक स्थिति और दूसरा, कोविड-19 को संभालने में सरकार द्वारा वांछित कार्रवाई में कमी। लेकिन विपक्ष बेहद चतुराई से विधानसभा चुनावों के साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, ख़ासकर उत्तर प्रदेश को विपक्ष की नाकामी के तौर पर देखा जा सकता है।

हाल ही में सम्पन्न हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने एकता का दुर्लभ प्रदर्शन किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी का नए गठबंधन के प्रति बड़े भाई वाला रवैया नहीं है। उतनी ही उल्लेखनीय बात यह भी है कि सोनिया या राहुल गांधी गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री का पद किसी के भी पास जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी पता चलता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर अपना आधार क्यों बढ़ा रही हैं और असम व त्रिपुरा में पैठ क्यों बना रही हैं? तृणमूल को उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह अपनी सीटों की संख्या 50से अधिक तक ले जाएगी। सुष्मिता देव के कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में जाने के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वह एक समान विचारधारा वाली दोस्ताना पार्टी में गई हैं। जिस दिन से तृणमूल एक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई थी, उसी दिन से कांग्रेस और तृणमूल के बीच अवैध शिकार चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस में ज़्यादातर लोग पूर्व कांग्रेसी हैं।

विपक्ष के पास एक स्पष्ट रोडमैप है, जिसकी परिकल्पना बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी और जिसे कई तत्वों का मिश्रण कहा जा सकता है। लोकसभा में बहुमत पाने की जादुई संख्या 272 हैं कांग्रेस इसका आधा यानि 136 सीटें जीतने की उम्मीद करती हैं बाकी आधी सीटें ग़ैर कांग्रेस और गैर राजग पार्टियों द्वारा जीते जाने की योजना है। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा तभी करेगी, जब उसे 150 या इससे अधिक सीटें मिलेंगी, जिसकी संभावना फिलहाल बहुत कम है। सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस का स्पष्ट उद्देश्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को एक और कार्यकाल नहीं देना चाहती और इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। कांग्रेस किसी भी वैकल्पिक सरकार का हिस्सा होगी, जिसमें भाजपा नहीं होगी। वह वित्त, गृह और विदेश मामलों जैसे मंत्रालयों पर नज़र रखेगी, जहां उसके पास उस क्षेत्र की विशेषज्ञता और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है। इससे इसका उस गठबंधन के भीतर दबदबा रहेगा। यह पूछना एक फैशनेबल और अभिजात दृष्टिकोण है कि 'मोदी नहीं तो कौन? वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह प्रश्न पूछा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो कौन? यह याद किया जाना चाहिए कि उस वक्त चुनाव होने से पहले सभी चुनावी सर्वेक्षण में वाजपेयी को बढ़त दिखाई जा रही थी, और हम अब उस चुनाव के नतीजे जानते हैं। तब वोपीय चुनाव हार गए थे। चुनाव से पहले डॉ॰ मनमोहन सिंह तस्वीर में कहीं नहीं थे और सोनिया गांधी को वाजपेयी के प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा नहीं गया था।

यदि आप विभिन्न विपक्षी दल के नेताओं के बीच के रिश्ते देखें, तो यह अधिक महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और कई अन्य जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और यहां तक के अकाली दल, वाई.एस.आर., कांग्रेस जैसी के नेता कपिल सिब्बल के आवास पर कांग्रेस के जी-23 समूह द्वारा आयोजित उनके जन्म दिन समारोह के लिए मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। उसे अपना घर व्यवस्थित करना होगा। जब तक प्रशांत किशोर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं होते, तब तक ग़ैर राजग दलों के बीच समन्वय एक चुनौती है। कांग्रेस को अहमद पटेल की कमी महसूस होती है। विपक्ष की पिछली आभासी बैठक में काफी परेशानी हुई थी, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं के बजाय कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के कुछ कम महत्वपूर्ण पदाधिकारी विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय करने की कोशिश कर रहे थे।

यदि हम 1984, 1999, 2009 और 2019 को छोड़कर 1980 के दशक के बाद भारत के मतदान पैटर्न को देखें तो देश के लोग आम तौर पर बदलाव के लिए मतदान करते हैं। वे सत्तारुढ़ दल के ख़िलाफ़ मतदान करते हैं। राजीव गांधी, वी.पी. सिंह और पी.वी. नरसिंह राव चुनाव हार गए थे। वाजपेयी ने 1999 में जीत हासिल की, क्योंकि एक वर्ष बाद चुनाव हुए थे लेकिन 2004 में वह हार गए थे। आमतौर पर मतदाताओं द्वारा सत्ताधारी दल को जनादेश नहीं दिया जाता। मतदाताओं ने मोदी को दो अवसर दिए। वर्ष 2024 में वह 74 वर्ष के हो जाएंगे। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भाजपा को 2024 में निर्णायक जनादेश मिलेगा।

कुछ लोग अब भी वह तर्क देंगे कि बहुप्रचारित विपक्षी एकता एक मृगतृष्णा हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के अलावा जुलाई 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष के लिए लिटमस टेस्ट होंगे। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर भाजपा जीत जाती है, तो विपक्षी गठबंधन को कड़ी टक्कर देने का मौक़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पास व्यापक स्वीकृति वाले किसी ग़ैर राजनीतिक व्यक्ति को मैदान में उतारने का विकल्प होगा। यदि वह अन्नाद्रमुक, बीजद, बसपा, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को अपने खेमे में मिला लेते हैं, तो विपक्ष मज़बूत चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2024 तक शह और मात का खेल जारी रहेगा। ❑❑

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 88

यह मुआ़हदा हुआ और बाक़ायदा इसे लिखा गया, हज़रत अ़ली रज़ि अल्लाहु अ़न्हु ने इसे लिखा, अभी लिखा ही जा रहा था कि मक्का के एक मुसलमान जिन का नाम ''अबू जन्दल'' था, वह मुसलमान होकर (उनके पैरों में बेड़ीयाँ पड़ी हुई थीं, काफ़िरों ने उन्हें बाँध रखा था) कुफ़्फ़ार से छूट कर हुदैबिया में आ गए, काफ़िरों ने कहा कि जब तक यह वापस नहीं किए जायेंगे, मुआ़हदा नहीं होगा, हुज़ूर ने फ़रमाया कि अभी तो लिखा ही जा रहा है पक्का भी नहीं हुआ, इस वाक़िए को इस से अलग कर लो, लेकिन हरगिज़ नहीं माने, वह बेचारे कहते रहे कि मैं इस्लाम ला चुका हूँ, आप फिर मुझे काफ़िरों के हवाले कर रहे हैं, आप ने फ़रमाया कि अ़हद की ख़िलाफ़ वरज़ी नहीं होगी, फ़ौरन वापस जाओ। (ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 620, अल-बिदाया-वन्निहाया जि. 4 स. 557, अल रौज़फ़ल अनफ़ जि. 4, स. 52)

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दे दिया कि सब अपना अपना ऐहराम खोल लें और सर मुंडा लें, सहाबा पर इस वाक़िए का इतना असर था कि ऐहराम खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अ़न्हु आकर कहते कि क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्या अल्लाह की नुसरत हमारे साथ नहीं है? हम दब कर क्यों बात करें? जो होना है आज ही हो जायेगा, मगर पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने सब को ठंडा किया, बज़ाहिर वे बात नहीं मान रहे हैं, आप ख़ेमे में तशरीफ़ लाए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा ने देखा कि हुज़ूर पर बहुत असर है, पूछा क्या बात है? आप ने फ़रमाया कि मैं कह रहा हूँ ऐहराम खोल दो, लोग ऐहराम नहीं खोल रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अ़न्हा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह! लोग बहुत ग़मगीन हैं, आप ख़ुद अपना सर हलक़ करा लीजिये, तो आप को देख कर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ख़ुद ही कर लेंगे, चुनान्चे आप ने सर मुंडाने के लिए हल्लाक़ को बुलाया और जैसे ही आप ने ऐहराम खोला, तो तमाम सहाबा ने खोल दिया। (अल-रौज़ुल अनफ़ जि. 4, स. 54) और इसी मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने आयत नाज़िल फ़रमाई: ''बेशक हम ने आप को फ़तहे मुबीन अ़ता फ़रमाई।''

बज़ाहिर तो दब कर सुलह हो रही थी, लेकिन अल्लाह तआ़ला फ़रमा रहे हैं कि हम ने आप को फ़तहे मुबीन अ़ता फ़रमाई, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, ऐहराम खोल कर वापस जा रहे हैं, उन्होंने उमरा करने नहीं दिया, और अल्लाह तआ़ला फ़रमा रहे हैं कि नहीं, यह फ़तहे मुबीन है।

हज़रत अबू बसीर रज़ि अल्लाहु अन्हु का वाक़िआ़

नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, चंद दिनों के बाद एक सहाबी अबू बसीर नामी मक्का मुअ़ज़्ज़मा में उनको वहाँ के लोगों ने रोक रखा था, यह कुफ़्फ़ार से छूट कर मदीना आ गए, कुरैश को पता लगा कि अबू बसीर हाथ से निकल गए, तो उन्होंने दो आदमियों का वफ़्द बनाकर मदीना मुनव्वरा हुज़ूर की ख़िदमत में हज़रत अबू बसीर को वापस कराने के लिए भेजा, चुनान्चे पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में वे लोग आए और शिकायत की, तो हुज़ूर ने अबू बसीर से कह दिया कि वापस चले जाओ, उन्होंने कहा कि हज़रत मैं मुसलमान होकर आया हूँ, मालूम नहीं ये लोग मुझे ज़िन्दा भी छोड़ेंगे या नहीं? आप ने फ़रमाया कि हम अ़हद की ख़िलाफ़ वरज़ी नहीं करते, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, चुनान्चे वे दोनों उनको लेकर वापस चले, जब मक्का के क़रीब पहुंचे, तो वे दोनों एक जगह कुछ खाने पीने की ग़र्ज़ से उतरे, अबू बसीर ने उन से कहा कि तुम्हारी तलवार तो बहुत अच्छी मालूम हो रही है, इस में बड़ी चमक दमक है, उन्होंने भी उसकी तारीफ़ की और कहा कि यह किसी को छोड़ती नहीं है, अबू बसीर ने कहा कि दिखलाइये, उस ने फ़ौरन दिखला दी, उन्होंने तलवार लेते ही फ़ौरन उसको मार डाला, और दूसरा साथी भाग गया, और यह दोबारा फिर मदीना आ गए, वह जो भाग गया था वह फिर मदीना पहुंचा, उस ने कहा कि हज़रत उन्होंने यह हरकत की है, हुज़ूर ने उनको फिर वापस कर दिया, और फ़रमाया कि बड़ा बहादुर आदमी है, अगर कुछ लोग इस को मिल जायें तो बुरा हाल कर दे। हज़रत अबू बसीर ने यह सुन कर सोचा कि हुज़ूर तो अब मुझे मक्का भेज देंगे और मक्का वाले मुझे अब ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका आदमी मर गया, चुनान्चे यह न मक्का गए और न मदीना आए, समुन्दर के साहिल पर जहाँ से उन के क़ाफ़िले गुज़रते थे वहाँ जाकर पड़ाव डाल दिया, मक्का के लोगों को जब मालूम हुआ कि अबू बसीर वहाँ मुक़ीम हैं, तो मक्का में जो मुसलमान होता, वह भी मदीना न आकर उन्हीं के पास चला जाता, पता चला कि 60/ 70 लोगों ने वहाँ पर सुकूनत इख़्तियार कर ली।

मक्का के जो क़ाफ़िले वहाँ से गुज़रते, ये उन से छेड़ख़ानी करते, गोया कि उनका नातिक़ा बंद कर दिया, बिल आख़िर मक्का वाले मजबूर हुए और पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के पास आकर रिश्तेदारी का वास्ता देकर अ़र्ज़ किया कि हज़रत यह जो साहिल पर लोगों ने पड़ाव डाल रखा है, उनको अल्लाह के वास्ते मदीना बुला लीजिये, उन्होंने तो हमारा नातिक़ा बंद कर दिया, इस तरह से अ़हद की दफ़्आ़ ख़त्म हो गई, बहर हाल इतमीनान की सी फ़िज़ा होने लगी। (अल रौज़ुल अनफ़ जि. 4, स. 57,58, ज़ादुल मआ़द मुकम्मल 621, दलाइलुन्नुबुव्वत जि. 4, स. 107) (जारी)

भारत ठान ले तो चीन को पीछे छोड़ दे

नोम चॉम्स्की

नोम चॉम्स्की हमारी सदी के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी और राजनीतिक दर्शनशास्त्री माने जाते हैं। उनके शोध विज्ञान से लेकर चिकित्सा तक के क्षेत्र में काम आते रहे हैं। पहले वह अमेरिका के मेसाचुसेट्स इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर थे, वहां से रिटायर होने के बाद इन दिनों वह दुनियाभर में लेक्चर देते हैं। उनका मानना है कि भारत में इतनी ताक़त है कि वह चीन को पीछे छोड़ सकता है। पिछले नोम चॉम्स्की से बातचीत हुई पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्नः- उदारवादी लोकतंत्र के विचार और अस्तित्व पर आ रहे संकटों को आप कैसे देखते हैं? इस समस्या का समाधान आप किस दिशा में देखते हैं?

उत्तरः- दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्र ब्रिटेन और अमेरिका, दोनों गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन तो टूट ही रहा है। बोरिस जॉनसन ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर हमला किया है, जिसे शायद सुप्रीम कोर्ट को आकर निरस्त करना पड़े। स्कॉटलैंड और वेल्स में जनमत संग्रह होने की संभावना है। कमोबेश ऐसे ही हालात अमेरिका के हैं। यहां हमने जनवरी में तख़्लापलट की एक कोशिश देखी। केपिटल हिल पर गुस्साई भीड़ का चढ़ आना एक गंभीर बात हैं यह बात यूरोप तक भी जाती है। वहां ऐसी पारंपरिक पार्टियां, जिन्होंने लंबे समय तक सत्ता चलाई है, टूट रही है, ग़ायब हो रही है। अगर हम इसके कारणों की पड़ताल करें, तो इसके स्रोत पुराने हैं। पिछले 40 सालों के नव-उदारवादी कार्यक्रम आज आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने तेज़ी से ध न के एकत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उन्होंने सभी को गंभीरता से नुकसान पहुंचाया है। इसने लोगों में गुस्सा, प्रतिशोध और संस्थानों की अवमानना को बढ़ाया है। यहां तक कि विज्ञान के भी विरोध को जन्म दिया है। इसने विश्वास को नुकसान पहुंचाया है। यह लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में एक सामान्य गिरावट हैं कोई सरकार नहीं, सब कुछ निजी हाथों में देने का चलन, आप सोचिए क्या होने वाला है? अभी अमेरिका में एक शोध हुआ, जिसमें सामने आया है कि 50 ट्रिलियन डॉलर कामगारों और मध्य वर्ग जेब से अमीरों के पास गए हैं। जहां-जहां नव उदारवाद आया है, वहां-वहां इसी तरह के घातक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

प्रश्नः- आप कोरोना के बाद की दुनिया का भविष्य किस तरह देखते हैं? विशेष रूप से राजनीतिक और सामाजिक भविष्य। इसका जवाब यह ध्यान में रखकर दीजिए कि युवाओं को ही इसकी सबसे ज़्यादा कीमत चुकानी है..?

उत्तरः- आज की युवा पीढ़ी वस्तुतः मानव इतिहास की सबसे अद्वितीय पीढ़ी है। मानव कई हज़ार सालों से इस पृथ्वी पर है। अब आज की युवा पीढ़ी को यह तय करना है कि मानव इतिहास का यह प्रयोग जीवित रहेगा या नहीं? हम ऐसे संकटों से गुज़र रहे हैं, जिनके समाधान को अब हम टाल नहीं सकते। इनमें सबसे भयावह है धरती का तापमान बढ़ना। विश्व की एक वैज्ञानिक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि अगर हम इसी रफ्तार से संसाधनों का दोहन करते रहे तो कुछ दशकों में धरती का तापमान 3-4 डिग्री अधिक होगा। औद्योगिक क्रांति शुरू होने के समय से। ऐसे में जीवन असंभव हो जाएगाा। यह पलय होगी। दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व निर्जन हो जाएंगे। तो हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं इसका समाधान हो सकता है। हमारे पास संसाधन हैं। हम जानते भी हैं कि ये कैसे हो सकता है। इसके तरीक़े भी हैं, लेकिन इसे त्वरित प्रभाव से अभी प्रभाव से अभी लागू किया जाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के दोहन की एक सीमा हो। इस सदी के मध्य तक हमें जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बंद करना होगा। उसके उदाहरण भी हैं, यूरोप ने अभी घोषणा की है कि 50 प्रतिशत संसाधन सतत् विकास प्रक्रिया के लिए होंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, अभी और भी करने की ज़रूरत है। डॉनाल्ड ट्रम्प ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ाया और सारे नियामकों को ख़त्म किया। ट्रम्प को अगर और चार वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है तो हम शायद ख़त्म हो जाते। सौभाग्य से अब ऐसा नहीं है। अब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन यह आपके और आप की युवा पीढ़ी के हाथ में है। यही आपकी चुनौती और ज़िम्मेदारी है।

प्रश्नः- आप भारत कई बार आए हैं, भारत आपकी स्मृतियों में किस तरह बसा है और भारत के बुद्धिजीवियों के साथ आप अपने अनुभवों को कैसे याद करते हैं..?

उत्तरः- मैं कई बार भारत आया हूं और मेरा शानदार अनुभव रहा। यह एक अद्भूत देश है। अकूत धन संपदा, सांस्कृतिक रूप से धनी और अविश्वसनीय ग़रीबी। मैंने मुंबई की बस्तियों जैसा कभी कुछ नहीं देखा। यह एक मिश्रण है चरम भाग विलास और भयंकर ग़रीबी का, जो कि तबाहीपूर्ण है। मैं आपको एक क़िस्सा सुनाता हूं, एक सुबह मैं दिल्ली में था। मैं एक प्रोस्टेट में जा रहा था। मैं अरुणा रॉय के साथ था, जो एक अदभुत महिला है। हमें ग़रीब महिलाओं ने घेर लिया, जिनकी गोद में बच्चे थे और वे कुछ सिक्के मांगने लगीं। मैंने गौर किया कि उस महिला ने कोई ध्यान नहीं दिा। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे संघर्ष एक आत्मघाती कदम है, यह भारत है, अत्याधिक क्षमता, भयंकर समाधान। अंग्रेजों के आने से पहले 18वीं सदी का सबसे अमीर देश। भारत अंग्रेजों की मचाई तबाही से बच सकता है, लेकिन उसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने वाला नेता चाहिए, जो संस्कृति का धनी हो और तकनीकी रूप से मज़बूत हो। यह दिलचस्प है कि भारत और चीन 18वीं सदी कक विश्व के केन्द्र थे। भारत के पास चीन से भी अधिक बड़ी शक्ति बनने की काबिलियत है, लेकिन यह एक संघर्षपूर्ण रास्ता है। भारत की बहुत सम्पन्न बौद्धिक परंपरा है। मेरे अपने क्षेत्र में भी शानदार लोग भारत से है, जो मेरे घनिष्ठ मित्र भी है। कुछ जगहों पर ग़रीबी और अमीरी का भेद मिटा है, मसलन केरल, तमिलनाडू पूरे भारत से अलग हैं, वहां कोशिश हुई है। ❑❑

प्राकृतिक संक्रमण लंबे समय तक कोरोना वायरस से बचाव में सक्षम

डॉ॰ संजय रॉय

कोरोना की दूसरी लहर में भारी नुकसान के बाद अब राजधानी में संक्रमण दर घटकर 0.05 प्रतिशत से भी कम हो गई है। टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 58 प्रतिशत आबादी को कम से कम एक डोज टीका व 23 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी को दोनों डोज टीका लग चुका है। इन सबके बीच अब भी स्कूल बंद हैं। बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। यह टीका बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है, दिल्ली में तीसरी लहर आने की संभावनाओं, एक बार संक्रमित लोगों में दोबारा संक्रमण के जोखिम और मौजूदा समय स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए अनुकूल है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. संजय रॉय से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, पेश है इस बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया है, तीसरी लहर आने की संभानाएं हैं, खासतौर पर दिल्ली में?

उत्तरः- महामारी की कोई भी लहर आने के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। लहर कब आएगी, कब नहीं आएगी, यह इस बात पर निर्भर है कि कितनी आबादी संक्रमण से बची हुई हे जिसे संक्रमण हो सकता है। अभी तक भारत सहित दुनियाभर के आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि जिसे एक बार संक्रमण हो गया वह लंबे समय तक कोरोना से सुरक्षित है। ऐसे लोगों के दोबारा संक्रमित होने का ख़तरा बहुत कम है। दिल्ली और उसके आसपास काफी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। किसी भी लहर को रोकने में प्राकृतिक संक्रमण ही सक्षम है। टीका लहर के प्रभाव (बीमारी की गंभीरता व मौत) को रोकने में सक्षम है। वही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम में अधिक संक्रमण होने के बावजूद अभी मौत ज़्यादा नहीं हो रही है। वहीं अमेरिका में करीब 50 प्रतिशत टीकाकरण होने के बावजूद करीब डेढ़ लाख मामले आ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के सीरो सर्वे के अनुसार केरल में 44 प्रतिशत लोगों में ही कोरोना के ख़िलाफ़ एंटीबीडी बनी है जबकि बनी है जबकि देश में करीब 68 प्रतिशत लोगों में कोरोना के खिलाफ़ एंटीबॉडी बन चुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार व दिल्ली एनसीआर में बड़ी आबादी प्राकृतिक रूप से संक्रमित हो चुकी है। इस वजह से ही इन क्षेत्रों में संक्रमण कम हुआ है। संक्रमण इस वजह से कम नहीं हुआ है कि यहां लोग बहुत नियमों का पालन कर रहे हैं असल बात यह है कि ज़्यादातर लोग संक्रमित हो चुके हैं इसलिए दोबारा संक्रमित होने का ख़तरा नहीं है।

प्रश्नः- क्या दिल्ली में स्कूल खोले जाने चाहिए व स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थ हो?

उत्तरः- ज़्यादातर देशों में स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। स्कूलों को अब बंद रखना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हैं उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा में स्कूल खोल दिए गए हैं। दिल्ली में भी स्कूल खोले जाने की कवायद चल रही है, स्कूल खोले जाने भी चाहिए। कोरोना अब डेढ़ वर्ष पुराना हो चुका है। अब आंकड़ों व वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेना चाहिए। सिर्फ संभावनाओं के आधार पर स्कूल व कॉलेज बंद नहीं रखना चाहिए। बच्चों को कोरोना का संक्रमण होता है, लेकिन बीमारी गंभीर नहीं होती। स्कूल बंद करके भी हमने ज़्यादातर बच्चों को संक्रमित कर दिया है। दिल्ली-एनसीआर में करीब 70 प्रतिशत बच्चे संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। इसलिए ज़्यादातर बच्चों में प्राकृतिक रूप से कोरोना के ख़िलाफ़ बचाव की क्षमता विकसित हो गई है।

प्रश्नः- स्कूल खुलने पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए..?

उत्तरः-एक डर यह था कि स्कूल खुलने पर बच्चों से कोरोना का संक्रमण घर के अन्य सदस्यों को हो सकता है। एक तो दिल्ली में करीब तीन चौथाई लोग संक्रमित हो चुके है दूसरी बात यह कि काफी संख्या में लोगों को टीका भी लग गया है। इसलिए स्कूल खुलने पर बच्चों से घर में संक्रमण आने का ज़्यादा ख़तरा नहीं दिखता। दिल्ली में हर्ड इम्युनिटी आ गई है। इस वजह से ही दिल्ली में संक्रमण नियंत्रित हुआ है इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई बड़ी लहर दिल्ली में आएगी। लेकिन वायरस पर लंबे समय तक निगरानी की ज़रूरत है। ताकि यह मालूम रहे कि कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है। साथ ही स्कूलों में शारीरिक दूरी के साथ छात्रों को बैठाया जाए।

प्रश्नः- क्या अब तक ऐसा साक्ष्य सामने आया है, जिससे पता चले कि एक बार संक्रमण होने पर कितने समय तक बचाव हो सकेगा.?

उत्तरः- कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जिससे हो सकता है कि लंबे समय तक या जीवन भर भी कोरोना के ख़िलाफ़ प्रतिरोधकता बरक़रार रहे। सार्स-एक व मर्स वायरस से संक्रमित लोगों में दो तीन वर्ष क रोग प्रतिरोध क क्षमता बरकरार रहती है। कोरोना

बाक़ी पेज 11 पर

पत्रलेखा चटर्जी

जलवायु संकट और हमारी तैयारी

अफग़ानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा और अशरफ़ ग़नी सरकार के पतन को कई टिप्पणीकार चारों ओर से घिरे उस अशांत राष्ट्र के लिए 'ख़तरनाक स्थिति' के रूप में देखते हैं हालांकि हमारे अस्तित्व के लिए एक और ख़तरे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए – वह है जलवायु परिवर्तन। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की नवीनतम रिपोर्ट इसे 'मानवता के लिए ख़तरनाक स्थिति' बताती है। रिपोर्ट बताती है कि 1970 से अब तक वैश्विक सतह के तापमान में जितनी वृद्धि हुई है, वह पिछले 2,000 साल में किसी भी अन्य 50 वर्ष के कालखंड की तुलना में अधिक है। वैश्विक तापमान में यह बढ़ोत्तरी 'पहले से ही दुनियाभर' के हर क्षेत्र में मौसम और जलवायु संबंधी कई चरम स्थितियों को प्रभावित कर रही है। हम दुनिया के हर हिस्से में जलवायु परिवर्तन के कारण लू, तूफान, आगज़नी, बाढ़ और भूस्खलन की संख्या और तीव्रता में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। दुनिया के लाखों अति निर्धन लोगों के देश भारत को इससे चिंतित होना चाहिए और बेहतर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य अधिक संकटग्रस्त दिखता है-यानि उच्च आर्द्रता, अनियमित वर्षा, अधिक सूखा बाढ़ और जंगल की आग से वैश्विक तापमान और बढ़ने की आशंका। जलवायु परिवर्तन न केवल जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है, यह 21वीं सदी के सबसे बड़े स्वास्थ्य ख़तरों में से एक है। बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा ने कृषि को प्रभावित किया है यानि यह पोषण को भी प्रभावित करता है इसलिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपने पोषण कार्यक्रमों में तेज़ी लानी चाहिए।

इस ख़तरे के प्रति हम कितने जागरुक और तैयार है? क्या हम इस ख़तरे में अन्य कारकों को जोड़ते हैं? मसलन, मौसम की चरम घटनाओं में वृद्धि में विशेषकर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं भी शामिल हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए भूस्खलन में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए। पर आपदा की तैयारी के नाम पर ज़्यादातर बचाव, राहत और मुआवज़े पर ध्यान दिया जाता है। ये सब भी ज़रूरी है, पर यही पर्याप्त नहीं है।

अपनी स्थलाकृति, जलवायु परिस्थिति और पारिस्थितिकी, जलवायु क्षेत्र काफी संवेदनशील है और यह क्षेत्र आपदा के लिहाज़ से संवेदनशील है। हिमालयी क्षेत्र में काम करने वाली जानी-मानी पर्यावरण कार्यकर्ता और शोधार्थी मानशी अशर बताती है कि पिछले कुछ दशकों में जलवायु संकट ने इन आपदाओं को आवृत्ति और तीव्रता और बढ़ा दी है। वह कहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक, जो 'प्राकृतिक आपदाओं के पीछे छिप जाता है, वह है विकास मॉडल की प्रकृति, जिससे वनों की कटाई, भूमि के कटाव में वृद्धि और ढलान की अस्थिरता आदि समस्या पैदा हुई है, जो न केवल ज़्यादा आपदाओं को जन्म देती है, बल्कि नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देती है। भूस्खलन के मामले में पूरे हिमाचल के लिए बेहतर अध्ययन और व्यापक भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण की ज़रूरत है। भूस्खलन आपदा जोखिम आंकलन (2015) बताता है कि हिमाचल का 90 फीसदी हिस्सा जोखिम वाले क्षेत्र में है। और फिर भी, जैसा कि अशर जैसी शोध कर्ता बताती हैं, 'नीति निर्माताओं और सरकारी विभागों का ध्यान 'रोकथाम' के बजाय 'प्रबंधन' पर है। प्रबंधन या शमन के प्रयासों ने सुरक्षात्मक दीवारों या वृक्षारोपण को कम कर दिया है, जो अपर्याप्त हैं और विफल हो गए हैं। उपलब्ध साक्ष्य निर्णय लेने में मदद नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि सरकारे अधिक जलविद्युत परियोजनाओं और चार लेन वाले राजमार्गों पर ज़ोर दे रही हैं। नीति निर्माण में हमें ज़मीनी स्तर के साक्ष्यों को शामिल करने की ज़रूरत है। भारत जैसी तेजी से शहरीकरण वाले देश की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि शहर 'गर्मी के द्वीप' तब बनते हैं जब वे भूमि के प्राकृतिक आवरण को सीमेंट व कंकरीट फुटपाथ इमारत और गर्मी को अवशोषित करने वाली अन्य सतह के ज़रिये बदल देते हैं। हमारे यहां लू के और घातक होने की आशंका है। निर्माण श्रमिकों और बाहर काम करने वाले लोगों को लू का ख़तरा ज़्यादा होता है। वर्ष 2010 से 2018 के बीच भारत में लू के कारण 6,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन कुछ ही भारतीय शहर बदली परिस्थितियों का मुक़ाबला करने को तैयार है। मसलन, अहमदाबाद ने सबसे पहले हीट एक्शन प्लान तैयार किया था, जिसने 2010 में भीषण लू का सामना किया था, और तब 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग एक दर्जन राज्यों के करीब 30 शहर इसी तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं, जो लोगों को बेहद गर्म मौसम के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती है पर यह पर्याप्त नहीं होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय शहरों को ठंडक पहुंचाने के तरीक़े तलाशने होंगे – शहरों में अधिक हरे भरे स्थान बनाना सबसे प्रभावी समाधान है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा तटीय इलाकों में रहता है। जबकि बढ़ते समुद्री जल स्तर द्वारा लाया गया खारा पानी कई जगह एक किलोमीटर तक के पेयजल स्रोतों को विषैला कर देता है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महासागर है, लिहाज़ा दूसरों की तुलना में हमारे लिए स्थिति बदतर है। तटीय इलाकों के अधिकांश लोगों को नमकीन पानी पीना पड़ता है, जो उच्च रक्तचाप बढ़ा सकता है।

जलवायु परिवर्तन अब भी हमें प्रभावित कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर अति निर्धन लोगों पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका सहित इसके दैनिक प्रभावों के बारे में अधिक जागरुकता अभियानों की तत्काल ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन नीति अपने जोखिम पर ही ज़मीनी साक्ष्यों की अनदेखी कर सकती है। ❑❑

रोज़गार

आधुनिक चिकित्सा जगत में अहम है लैब टेक्नीशियन

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्लीनिकल प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। छोटी सी छोटी बीमारी के लिए डाक्टर मरीज़ों का विभिन्न तरह की जांच कराते हैं, ताकि असली मर्ज़ और उसकी स्थिति का पता चल सके। ऐसे में सही इलाज और दवा के लिए क्लीनिकल प्रयोगशाला की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसी प्रयोगशालाओं पर काम करने के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की ज़रूरत होती है। इन प्रशिक्षित टेकनीशियनों को चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल लेब्रोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट (एम.एल.टी.) कहा जाता है। एमएलटी की पढ़ाई में बायो केमेस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी और ब्लड बैंकिंग शामिल है। एमएलटी शरीर में खून, खून के प्रकार, सेल और अन्य की अवस्थाओं का विश्लेषण करता है।

नेचर और वर्क

मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डाक्टरों के निर्देश पर काम करते हैं। उपकरणों के रख-रखाव और कई तरह के काम इनके ज़िम्मे होता है। लेबोरेट्री में नमूनों की जांच और विश्लेषण में काम आने वाला घोल भी लैब टेक्नीशियन ही बनाते हैं। इन्हें मेडिकल साइंस के साथ साथ लैब सुरक्षा नियमों और ज़रूरतों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। लैब टेक्नीशियन नमूनों की जांच का काम करते हैं, लेकिन वे इसके परिणामों के विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित नहीं होते। नमूनों के परिणामों का विश्लेषण पैथोलॉजिस्ट या लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही कर सकता है। जांच के दौरान एमएलटी कुछ सैंपलों को आगे की जांच या फिर ज़रूरत के अनुसार उन्हें सुरक्षित भी रख लेता है। एमएलटी का काम बहुत ही ज़िम्मेदारी और चुनौती भरा होता है। इसमें धैर्य और निपुणता की बड़ी आवश्यकता होती है। जमा किए गए डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता की भी ज़िम्मेदारी उसकी ही होती है।

कोर्स के दौरान क्या पढ़ें

विशेषज्ञों के मुताबिक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं मास्टर्स के दौरान बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री एण्ड ब्लड बैंकिंग, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायॉलोजी, पैथोलॉजी, इन्वायरमेंट एण्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी एवं अस्पताल प्रशिक्षण की पढ़ाई करायी जाती है।

कोर्स एवं योग्यता

सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (सीएमएलटी) यह छह माह का कोर्स है जिसके लिए योग्यता है 10वीं पास। वहीं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टैक्नोलॉजी के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी हे। इस कोर्स की अवधि एक साल की है। 12वीं में प्रमुख विषय के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (पीसीबी) के साथ पास होना अनिवार्य है। बीएससी इन एमएलटी के लिए 12वीं विज्ञान विषयों के साथ तो उत्तीर्ण होना ज़रूरी है साथ ही इस कोर्स की अवधि है तीन वर्ष। एमएससी इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट (एमएलटी) प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी के पास पहले हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद दो वर्ष का एसोसिएट प्रोग्राम करना होता है। यह प्रोग्राम कम्युनिटी कॉलेज, टेक्निकल स्कूल, वोकेशनल स्कूल या विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है।

कहाँ-कहाँ हैं अवसर

मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियनों को काम में निपुणता और ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। छात्र इस तरह प्रशिक्षण लेबोरेट्री कार्यों के दौरान ही प्राप्त कर सकते है। अधिकतर प्रांतों में मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियनों के लिए कोई प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। प्रमाण पत्र वाले टेक्नीशियनों के लिए इस क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं होती हैं। आप किसी भी मेडिकल लेबोरेट्री, हास्पिटल, पैथोलॉजिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। ब्लड बैंक में इनकी ख़ास मांग रहती हे। आप बतौर रिसर्चर व कंसल्टेंट के अलावा खुद का क्लीनिक भी खोल सकते हैं।

क्या होगी शुरूआती आमदनी

सामान्य तौर पर एक एमएलटी का वेतन दस हजार से शुरू होता है जबकि पैथालॉजिस्ट को तीस हजार से चालीस हजार प्रतिमाह तक सैलरी मिल जाती हे। साथ ही योग्यता और तजुर्वे के आधार पर उनके वेतन में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। देश के साथ-साथ विदेशों में भी इनकी खासी मांग है।

प्रमुख संस्थान

दिल्ली पैरामेडिकल एण्ड मैनेजमेंट इंस्टीटयूट, नई दिल्ली
www.dpiinidia.com

शिवालिक इंस्टीटयूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़
www.shivalikinstitute.org

पैरामेडिकल कॉलेज, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
www.paramedicalcollege.org

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, लखनऊ
www.iipsinstitute.com

डिपार्टमेंट ऑफ पैथालॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
www.amu.ac.in ❑❑

इस्लामी दुनिया

सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला : आठ घायल

दुबई : सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हवाई अड्डे पर बम लड़े ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में आठ लोग ज़ख़्मी हो गए और हवाई अड्डे पर खड़ा एक यात्री विमान क्षतिग्रस्त हो गया। सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार यमन में हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ जारी जंग के बीच सऊदी अरब पर यह हमला किया। इससे पहले हुए हमले में हवाई अड्डे पर कोई घायल नहीं हुआ था।

पाकिस्तान ने दो भारतीयों को छोड़ा, 19 अब भी जेल में बंद

लाहौर : पाकिस्तान जेल में करीब आठ साल से बंद दो भारतीय नागारिकों को पाकिस्तान ने बाघा बार्डर पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हवाले कर दिया। दोनों को ग़ैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2013 में भारतीय मूल के शर्मा राजपूत और राम बहादुर कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे, वहां उन दोनों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। जांच में पाया गया कि दोनों मानसिक रूप से अक्षम है और गलत से उन्होंने सीमा पार कर ली थी। दोनों की तस्वीरें और अन्य सामान भारत से साझा किया गया था।

बांग्लादेश में समलैंगिकों की हत्या पर 06 को मौत की सज़ा

ढाका : बांग्लादेश में पांच वर्ष पहले दो गे कार्यकर्ताओं की बरबर हत्या के जुर्म में एक अदालत ने एक संगठन के छह सदस्यों को मौत की सज़ा सुनाई। बताया जाता है कि ये हत्या नास्तिक ब्लॉगरों, शिक्षाविदों और अन्य अल्पसंख्यकों पर सिलसिलेवार ढंग से हमले का हिस्सा थे। इस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को स्तब्ध कर दिया था। इसके कारण कई लोग छुप गए और कुछ विदेश भाग गए।

तालिबान के असली रुख़ का इंतज़ार

अफग़ानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही विदाई के बाद बने हालात पर भारत का उच्च स्तरीय समूह करीबी नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल अफग़ानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अफग़ान सिख हिन्दू अल्पसंख्यकों को निकालने की प्राथमिकता तय की गई है। तालिबान को मान्यता देने को लेकर भारत अपना रुख़ स्पष्ट करने की हड़बड़ी में नहीं है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब तक तालिबान ने वहां भारतीय नागरिकों और हिंदू-सिख अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अब विदेशी सैनिकों के अफग़ानिस्तान से पलायन के बात स्थिति क्या बैठती है इस पर सरकार की बारीक नज़र है।

चुनाव सुधार और राजनीतिक अनिच्छा

शिवेंद्र राणा

मताधिकार लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है। इसका वास्तविक अर्थ तभी है जब चुनाव में निष्पक्षता हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आठ राजनीतिक दलों पर इसलिए जुर्माना लगाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक ब्यौरे सार्वजनिक करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया था। इस पर तल्ख़ टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को क़ानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

इस मसले पर देश में संसद से सड़क तक गंभीर बहस होनी चाहिए थी, मगर इसे एक आम फैसले की तरह लिया गया। हमारे राजनेता मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और ग़ैर ज़रूरी मसलों पर बहस की कला बख़ूबी जानते हैं। अपराध और चुनाव का संबंध बड़ा पुराना है। सत्तर और अस्सी के दशक में जब जातिवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा तब जातिवाद के सहारे उभरने का प्रयास कर रहे नेताओं ने अपने जाति विशेष के अपराधियों का इस्तेमाल बूथ लूटने, मतदाताओं को डराने धमकाने, विरोधी दलों के प्रत्याशियों की हत्या कराने आदि में किया। फिर ये अपराधी राजनीतिक दलों और नेताओं की ज़रूरत बनते गए। इन अपराधियों ने भी अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करके अपनी समांतर सत्ता स्थापित कर ली। फिर इन अपराधियों को लगने लगा कि जब वे किसी को चुनाव जितवा सकते हैं तो ख़ुद भी जीत सकते हैं, इससे उनको कानूनी संरक्षण भी मिल जाएगा। फिर नब्बे के दशक में इन अपराधियों ने स्वयं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ताल ठोंकनी शुरू कर दी। शुरू में क्षेत्रीय दलों ने अधिक प्रश्रय दिया। इसके दो कारण थे, पहला समाजवाद के परोक्ष प्रभाव में जातिवादी राजनीति का तेजी से उभार। ऐसे में जाति विशेष के अपराधी इन दलों के प्रभाव प्रसार में विशेष लाभकारी सिद्ध हुए। जो काम भाषणों, वादों, धन वितरण, प्रसिद्ध व्यक्तित्व या फिल्मी सितारे नहीं कर पाते थे, वह आसानी से बंदूक के बल पर हो जाता था। जब क्षेत्रीय दलों ने यह तरीका अपनाया तो राष्ट्रीय दलों ने भी असामाजिक तत्वों को झाड़ पोंछ कर अपने यहां भर्ती करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि धड़ल्ले से हर राजनीतिक दल के मार्फत गुंडे और डकैत 'माननीय' बनने लगे।

सबसे आश्चर्यजनक, जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर सज़ायाफ्ता लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर देश के सारे क़ैदियों को मतदान का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। आज तक किसी भी पार्टी ने इस विषय पर कोई गंभीर विचार नहीं किया बल्कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का सर्वदलीय बैठक में वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी दलों ने अपने स्वर में विरोध किया था। बात न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों के अतिक्रमण तक पहुंच गई थी। कोई भी इन अपराधियों को संसद और विधानसभा जाने से रोकने के मूल मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था। इन अपराधियों को पोसने वाली पार्टियों के पास एक सरल तर्क होता है कि ये मुकदमे फर्ज़ी और विरोधियों की साज़िश है। इस तरह समय के साथ लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों की आमद बढ़ती गई।

अक्सर अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के दावे किये जाते हैं, पर हक़ीक़त में ऐसा नहीं हो पाता। यही वजह है कि 2004 की चौदहवीं लोकसभा में 128 दागी उम्मीदवार संसद पहुंचने में सफल रहे। इनमें से 58 माननीय सांसद ऐसे थे, जिनके ख़िलाफ़ हत्या, हत्या की कोशिश या बलात्कार जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 की 15वीं लोकसभा में चुनकर आए 162 (29.83 प्रतिशत) सांसदों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज थे। इस लोकसभा में 14वीं लोकसभा के मुक़ाबले 26 प्रतिशत अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसद चुन कर आए थे। इनमें से 76 माननीयों के ख़िलाफ़ गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले दर्ज थे। 2014 की 16वीं लोकसभा में चुनकर आए कुल सांसदों में से 185 (34 प्रतिशत) के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 112 के ख़िलाफ़ गंभीर प्रकृति के मामले थे। 2019 की 17वीं लोकसभा में चुनकर आए कुल सांसदों में से 233 के ख़िलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 159 के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के मामले है। यानि 2004 के मुकाबले 2019 में 82 प्रतिशत अधिक सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं।

ऐसा नहीं है कि इन सारे तथ्यों से हमारे राजनीतिक दल अनजान हैं। पर इन समस्याओं का निराकरण किसी नेता या राजनीतिक दल की प्राथमिकता में नहीं है। अब तक जो चुनाव सुधार हुए भी है, वे सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता और चुनाव आयोग की तत्परता के कारण संभव हो पाए हैं। मसलन, अक्तूबर 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य कर दिया था कि वे पूरे चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार टेलिविजन और अख़बारों में अपने आपराधिक ब्यौरों का विज्ञापन करें। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि इन विज्ञापनों का ख़र्च भी प्रत्याशियों को वहन करना होगा, क्योंकि यह 'चुनाव ख़र्च' की श्रेणी में आता है। मगर देश के राजनीतिक दल इन सुधारों को पलटने की कला भी बख़ूबी जानते हैं। मसलन, वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को बहाल रखा, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने पर मतदान का अधिकार न हो, वह निर्वाचक नहीं है। इससे अपराधियों के निर्वाचन पर अंकुश लगने की संभावना बढ़ी। पर राजनीतिक दलों को यह पसंद नहीं आया इसलिए संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में नए प्रावधान जोड़े गए। इसमें पहला प्रावधान था कि हिरासत में होने के कारण मतदान से रोकने जाने पर भी अगर व्यक्ति का नाम मतदाता सूचि में दर्ज है, तो उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। दूसरा प्रावधान था कि किसी सांसद और विधानसभा सदस्य को तभी अयोग्य ठहराया जाए, किसी अन्य आधार पर नहीं। इन संवैधानिक प्रावधानों को इन अपराधियों और इनके संरक्षक दलों ने अपनी ढाल बना लिया है।

अब चुनाव सुधार की दिशा में कुछ उपाय तुरंत किए जाने की आवश्यकता है। पहला, विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा, उन्हें पंचायत और निकाय चुनावों का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई प्रत्याशी या विधायक – सांसद किसी न्यायालय द्वारा दोषी क़रार दिया जाता है, तो उसे टिकट देने वाले राजनीतिक दल पर दंड आरोपित किया जाना चाहिए। चौथा, चुनाव को पूरी तरह सरकार के खर्च पर संपन्न कराया जाना चाहिए। 1998 में इन्द्रजीत गुप्ता समिति ने इसे जनहित में क़ानूनी रूप से उचित माना था।

पाँचवा, चुनावी हलफनामे में फर्ज़ी सूचना पाए जाने पर प्रत्याशी को आजीवन प्रतिबंधित करने और उसके दल पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उस दल की प्राथमिक ज़िम्मेदारी थी उसे उम्मीदवार बनाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना। छठवां, जनता को 'राइट टू रिकॉल' की सुविधा प्रदान की जाए क्योंकि इसके बिना माननीय जनप्रतिनिधि सुधरने वाले नहीं है। सातवां, नोटा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि राजनीतिक दल प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करें। इसके अलावा इन सुधारों में जनता की भागीदारी। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की प्रक्रिया को जनापेक्षी बनाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि एक सौ तीस करोड़ से अधिक की आबादी के भविष्य का निर्धारण चार-पा.च सौ 'माननीय' ही करेंगे।

करोड़पति बना महाराष्ट्र का मछुआरा

जाल में फंसी दुर्लभ गोल्डफिश, 1.33 करोड़ रुपए में बिकी 157 मछलियाँ

महाराष्ट्र में पालघर के मछुआरे चन्द्रकांत तारे पर किस्मत कुछ इस क़दर मेहरबान हुई कि वह एक झटके में ही करोड़पति बन गए। 07 साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए चंद्रकांत के बेटे सोमनाथ ने जैसे ही जाल डाला, तो 'सी गोल्ड' कही जाने वाली दुर्लभ घोल मछलियां इसमें फंस गई। वह भी एक दो नहीं, पूरी 157 घोल मछलियां एक साथ फंस गई। ये मछलियां 1.33 करोड़ रुपये में बिकीं। मछलियों का ऑक्शन पालघर बाहार में हुआ। सोमनाथ ने बताया कि उन्होंने हर मछली को करीब 85 हज़ार रुपए में बेचा। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम 'प्रोटोनिबिआ डायकैंथस' है। इसका इस्तेमाल दवाईयाँ और कॉस्मेटिक्स बनाने में किया जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान जैसे देशों में इसकी बहुत मांग है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे, जो अपने आप गल जाते हैं, वे भी इसी मछली से बनाए जाते हैं। सोमनाथ के मुताबिक, इन मछलियों को यूपी और बिहार के व्यापारियों ने ख़रीदा है। इसके पहले गुजरात के मछुआरे को 11 हजार घोल मछलियां मिली थीं। सोमनाथ ने बताया कि वे समुद्रा में 20 से 25 नॉटिकल माइल अंदर वाधवान की ओर गए थे। इसी दौरान उनके पिता के समुद्र में फैलाए जाल में 157 घोल मछलियां फंस गई। यह उनकी ज़िन्दगी की सबसे बड़ी कमाई वाली ट्रिप बन गई थी। समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने की वजह से अब ये मछलियां किनारे पर नहीं मिलती है।

बेरोज़गारी की महामारी

सरोज कुमार

महामारी के साथ जीने की आदत डाल लेने के बाद लगता है कि अब हमें बेरोज़गारी के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी। लेकिन बेरोज़गारी के साथ जी पाना उतना ही कठिन है, जितना दवा, ऑक्सीजन और टीके के बग़ैर महामारी के साथ जी पाना। महामारी का तो हमने टीका बना लिया, लेकिन बेरोज़गारी का फिलहाल कोई तोड़ हाथ नहीं लगा है। इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिख रही। अब तो यहां तक कहा जाने लगा है कि बेरोज़गारी कहीं महामारी से आगे न निकल जाए। महामारी की रफ्तार थमने के बाद भी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। महामारी की अवधि के दौरान एक करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के अनुसार पिछले दिनों यानि जुलाई में ही बत्तीस लाख वेतनभोगियों की नौकरियां चली गईं। अगस्त में भी बेरोज़गारी दर लगातार सात प्रतिशत से ऊपर बनी हुई हैं, ये आंकड़े डरावने हैं।

नीति नियंताओं का मानना है कि विास दर बढ़ेगी तो रोज़गार मे अवसर भी बनेंगे लेकिन अर्थ नीति की यह पद्धति बहुत पहले ही विफल हो चुकी है। हम रोज़गार विहीन विकास दर के दौर से गुज़र रहे हैं फिर भी हम नीति से नाता तोड़ने को तैयार क्यों नहीं है, इसका जवाब जवाबदेह ही दे सकते हैं। विकास दर की नीति का नतीजा यह रहा है कि कोई तीन प्रतिशत लोगों की आमदनी महामारी के दौरान भी बढ़ी है, जबकि बाकी आबादी बेरोज़गारी और ग़रीबी का दंश सहने को मजबूर हैं।

नीतिगत ख़ामियों के कारण बेरोज़गारी की स्थिति पहले से बुरी थी। महामारी ने इसे बदतर बना दिया है। नीति रोज़गार पैदा करने की होनी चाहिए, लेकिन सारी कवायद विकास दर हासिल करने की है। नीति नियंताओं का मानना है कि विास दर बढ़ेगी तो रोज़गार मे अवसर भी बनेंगे लेकिन अर्थ नीति की यह पद्धति बहुत पहले ही विफल हो चुकी है।

हम रोज़गार विहीन विकास दर के दौर से गुज़र रहे हैं फिर भी हम नीति से नाता तोड़ने को तैयार क्यों नहीं है, इसका जवाब जवाबदेह ही दे सकते हैं। विकास दर की नीति का नतीजा यह रहा है कि कोई तीन प्रतिशत लोगों की आमदनी महामारी के दौरान भी बढ़ी है, जबकि बाकी आबादी बेरोज़गारी और ग़रीबी का दंश सहने को मजबूर हैं।

विकास दर की दिशा में देश में नोटबंदी (08 नवंबर, 2016) और जीएसटी (01 जुलाई, 2017) के रूप में किए गए दो बड़े आर्थिक सुधार उलटबांसी साबित हुए। दोनों सुधार अपने उद्देश्य हासिल नहीं कर पाए। अलबत्ता जो था, वही भी चला गया। दोनों सुधारों के बाद जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान बेरोज़गारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट ने तो बेरोज़गारी दर 6.1 प्रतिशत के बदले 8.9 प्रतिशत बताई थी। देश में बेरोज़गारी का यह एक अभूतपूर्व स्तर रहा है। इसके बाद जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान बेरोज़गारी दर में थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ और यह 5.8 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन पिछले वर्ष महामारी ने हालात इतने बदतर बना दिए कि भारत अपने पड़ोसियों से भी बुरी स्थिति में पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 के दौरान जहां भारत में बेरोज़गारी दर 7.11 प्रतिशत रही, वहीं चीन में यह पांच प्रतिशत, बांग्लादेश में 5.30 प्रतिशत, पाकिस्तान में 4.65 प्रतिशत, श्रीलंका में 4.48 प्रतिशत, नेपात में 4.44 प्रतिशत, और भूटान में 3.74 प्रतिशत दर्ज की गई। दुनिया की बात करें तो 2020 में औसत वैश्विक बेरोज़गारी दर 6.67 प्रतिशत थी। मौजूदा साल में भी भारत की बेरोज़गारी दर सात प्रतिशत से ऊपर रहने के संकेत हैं।

अपने देश में ऊंची बेरोज़गारी दर के पीछे एक बड़ा कारण सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार सिमटते जाना भी है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र मज़बूत है, वहां बेरोज़गारी दर उसी अनुपात मेमं कम है। सार्वजनिक क्षेत्र की मज़बूती के मामले में भारत की स्थिति दुनिया तो दूर अपने पड़ोसियों से भी ख़राब है। आइएलओ के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल श्रमशक्ति का मात्र 3.8 प्रतिशत ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग पचास प्रतिशत, पाकिस्तान में लगभग साढ़े सात प्रतिशत और बांग्लादेश में लगभग आठ प्रतिशत है। रोज़गार के लिहाज़ से सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छा इसलिए माना जाता है, क्योंकि यहां नौकरियां निजी क्षेत्र की बनिस्बत अधिक सुरक्षित होती है। संकट काल में भी साथ सार्वजनिक क्षेत्र ही देता हैं। महामारी के दौरान यह साफ हो चुका है लेकिन दुखद यह कि हमारी नीतियां निजी क्षेत्र के नाम हैं, जिसका उद्देश्य रोज़गार पैदा करना नहीं, अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक तो अवसर घटते जा रहे हैं, और फिर जहां अवसर हैं भी, वहां नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में साठ लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त हैं। इसमें आठ लाख बहत्तर हजार से अधिक रिक्तियां अकेले केन्द्र सरकार में हैं। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में केन्द्र और राज्य सरकारों की नियुक्तियां तीन वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच गईं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के पेरोल के आंकड़े बताते हैं कि केन्द्र सरकार की नियुक्तियों में जहां सत्ताईस प्रतिशत की गिरावट रही, वही राज्य सरकारों ने 21 प्रतिशत कम नियुक्तियां कीं।

देश में लगभग 19 प्रतिशत श्रमशक्ति ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं इसमें लगभग चार प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र का निकाल दें तो निजी क्षेत्र में लगभग 15 फीसद नौकरियां ही ऐसी हैं, जहां श्रमिक बेहतर स्थिति में काम करते हैं। बाकी 81 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में राम भरोसे हैं। श्रमशक्ति के इस बड़े हिस्से के पास कब काम है, कब नहीं है और है भी तो किस दर्जे का, कुछ सुनिश्चित नहीं है। यानि बेरोज़गारी की तलवार सिर पर हमेशा लटकी रहती है। असंगठित क्षेत्र की इस 81 प्रतिशत श्रमशक्ति का लगभग आध ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। कृषि में एक तो दिहाड़ी सबसे कम है और फिर हमेशा काम भी नहीं रहता, लिहाज़ा यहां श्रमिक तभी आते हैं, जब अधिक दिहाड़ी के दूसरे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ कर 45. 6 फीसद हो गई, जो 2018-19 में 42.5 फीसद थी। हालांकि समएमआइई के कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे (सीपीएचएस) में यह हिस्सेदारी अड़तीस प्रतिशत बताई गई है, जो 2018-19 में 36.1 प्रतिशत थी। कृषि में श्रमिकों की बढ़ी हिस्सेदारी में भी सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है और यह भी कि कुल कामकाजी महिलाओं का साठ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इससे यह भी पता चलता है कि रोज़गार बाज़ार में महिलाओं की स्थिति क्या है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में गिरावट महामारी के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों की वजह से मानी गई थी। उम्मीद थी कि आर्थिक गतिविधि याँ बहाल होने के बाद श्रमिक वापस कृषि क्षेत्र से इन क्षेत्रों में लौट आएंगे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। सीएमआइई के अनुसार 2020-21 (जुलाई से जून) के दौरान भी श्रमिकों का दूसरे क्षेत्रों से कृषि क्षेत्र में पलायन जारी है। इस अवधि में कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी अड़तीस प्रतिशत से बढ़ कर 39.4 फीसद हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिर्माण के क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी 9.4 प्रतिशत से घटकर 7.3 फीसद हो गई। हाँ, निर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है, जहां श्रमिकों की हिस्सेदारी 2020-21 की अवधि में 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 फीसद हो गई। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से असंगठित क्षेत्र में नौकरियां कुछ हद तक वापस आ सकती हैं लेकिन अच्छी नौकरियों का अकाल फिलहाल बना रहने वाला है, क्योंकि वेतन में कटौती का हिस्सा ही अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। सरकार का ध्यान कारपोरेट क्षेत्र की मज़बूती पर है, जहां से विकास दर तो हासिल हो सकती है, लेकिन रोज़गार की बात बेमानी है।❑❑

देश में लगभग 19 प्रतिशत श्रमशक्ति ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं इसमें लगभग चार प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र का निकाल दें तो निजी क्षेत्र में लगभग 15 फीसद नौकरियां ही ऐसी हैं, जहां श्रमिक बेहतर स्थिति में काम करते हैं। बाकी 81 प्रतिशत श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में राम भरोसे हैं। श्रमशक्ति के इस बड़े हिस्से के पास कब काम है, कब नहीं है और है भी तो किस दर्जे का, कुछ सुनिश्चित नहीं है। यानि बेरोज़गारी की तलवार सिर पर हमेशा लटकी रहती है।

ख़ास ख़बरें

आतंकी संगठनों को खत्म करें तालिबान : चीन

चीन ने तालिबान से आतंकवादी संगठनों से संबंधों को स्थायी रूप से खत्म करने, एक खुली, समावेशी सरकार बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा। अमेरिकी सैनिकों के अफग़ानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका के दो दशक पुराने युद्ध का समापन हो गया। इसके बाद तालिबान ने काबुल पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा 'अफग़ानिसतान विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से मुक्त हो गया है और अफग़ान लोग शांति और पुनर्निर्माण के नए शुरुआती चरण पर खड़े हैं, एक सवाल के जवाब में कहा कि 'हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक खुली और समावेशी सरकार बना सकता है, विदेशी नीतियों का पालन कर सकता है, सभी प्रकार के आतंकवाद का मुक़ाबला कर सकता है।

अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 मासूम बच्चे भी मारे गए

अमेरिका ने जिस ड्रोन हमले से इस्लामिक स्टेट खुरासान को निशाना बनाने का दावा किया था। उसमें एक ही परिवार के 10 लोग मारे गए। इनमें 7 बच्चे है। मृतकों में एक तो अमेरिकी सेना के लिए काम करता था। इस हमले में दो तो दो वर्ष की बच्चियां थी, उनके रिश्तेदारों ने उनके फोटो दिखाते हुए कहा 'क्या ये आतंकी थे?' इनमें से एक बच्ची मलिका के अवशेष घर के पास मलबे में मिले।

फिरोज़ाबाद में बुख़ार से 41 की मौत

वेस्ट यूपी के फिरोज़ाबाद में डेंगू और वायरल बुख़ार से अब तक यहां लगभग 41 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें लगभग 32 बच्चे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39 मौतों की पुष्टि की थी। लापरवाही और प्रशासनिक शिथिलता के आरोपों में फिरोज़ाबाद के सीएमओ और मलेरिया अधिकारी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हालात को देखते हुए फिरोज़ाबाद के डीएम ने 8वीं तक के स्कूल कुछ समय के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं।

बंगाल : भाजपा के तीसरे विधायक पार्टी छोड़, तृणमूल से मिले

पश्चिमी बंगाल में भाजपा पसोपेश की स्थिति में है क्योंकि उसके कई विधायक एक-एक करके तृणमूल कांग्रेस में पुन: वापसी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायकों का पार्टी बदलकर टीएमसी में जाने का सिलसिला जारी है। अब विधायक बिस्वजीत दास भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बंगाल में टीएमसी की वापसी के बाद बिस्वजीत तीसरे भाजपा विधायक हैं, जिन्होंने पुन: तृणमूल ज्वाइन की है। वे चुनाव से पहले ही भाजपा में गए थे, इससे पहले तन्मय घोष भाजपा छोड़कर टीएमसी में आ गए थे।

सितारा ज़बीं

इस्लाम में औरतों का दर्जा

आज के समय में इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम ने औरतों के लिए इस्लाम धर्म के बारे कुप्रचार करने का तरीक़ा अपना लिया है, वह यह दुष्प्रचार करते फिरते हैं कि इस्लाम धर्म में औरतों पर अत्याचार होता है, उनके हुक़ूक़ की हत्या की जाती है, और उनको त्रासदी का शिकार बनाया जाता है, जो सरासर बेबुनियाद ग़लत दुष्प्रचार है, क्योंकि इस्लाम ने औरतों को जितनी अहमियत और उनके अधिकार दिए हैं शायद ही किसी धर्म में इनको इतना अधिक महत्व दिया गया है।

फारसी न जानने वाले भी फिरदौसी के नाम से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं अपनी मशहूर तख़लीक़ 'शाहनामा'' के एक शेअर में कहता है जिसका मफहूम है कि 'औरत अजगर के बराबर रखी गई है।'' है न कितनी अजीब बात।

एक कहावत है कि ''क़ब्र सब से बेहतर दामाद है'' ज़ाहिर है यह दौरे जाहिलियत के किसी शायर ने कहा होगा यानि किसी के घर लड़की पैदा होना शर्म व एतराज़ की बात है जिसे कम उम्र में ही बल्कि पैदा होते ही ज़िन्दा दफ़न कर देना चाहिए

खुद खुदाए कुद्दुस कुरआने पाक में फरमाता है, ''उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की ख़बर सुनाई जाती तो ग़म व गुस्से की ज़्यादाती से उसका चेहरा काला पड़ जाता।''

यही हाल बहुत से एशियाई मुल्कों के लोगों का भी है ख़ास तौर से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के जाहिल और क़दामत पसंद ज़मीनदार तबक़े में लड़की पैदा बेइज़्ज़ती की बात समझी जाती जबकि बेटा बजाए खुद इज़्ज़त और वक़ार और दूसरे औसाफ़ का निशान समझा जाता है। लड़की को पहले बाप और फिर शौहर के यहां एक तरह से गुलाम बनाकर रखा जाता है। इल्म से नावाक़िफ़ लोगों के ज़रिए कभी-कभी जायदाद के बंटवारे के डर से उसे शादी से भी महरूम रखा जाता है जैसे यह बाप की बेइज़्ज़ती का बाइस ठहरी।

औरत मज़हबे इस्लाम की शुक्रगुज़ार है जिसकी आमद के बाद औरत को इंसानियत में ऊंचा मक़ाम और दर्जा मिला। लड़की को ज़िन्दा दफ़न करना गुनाहे अज़ीम ठहरा। उसकी तालीम और खूबियों को कारआमद बताया गया। वर्ना इस्लाम से पहले फरिश्तों और जिन्नों को ख़ुदा की बेटियां कहा जाता, यदि यानि ख़ुदा मुज़क्कर और बुत फरिश्ते मुअन्नस पुकारे जाते।

लड़कियों की जानिब नफ़रत एक अहम नुक्ता है। डॉ. आएशा अब्दुर्रहमान बिन्ते अशाती ने क़ुरआन के हवाले से तवज्जोह दिलाई है कि लड़कियों के तईं नफ़रत और नापसंदीदगी के रवैये की जड़ दरअसल इक़्तिसादी मसला है उसे नादारी और ग़रीबी के ख़ौफ़ से भी नापसंद किया जाता।

दूसरी वजह यह है कि क़बाईली तरीक़ए ज़िन्दगी का सख़्त हादसों और जंगों से घिरा होता, क़बीलों के बीच मुक़ाबले होते, उस समाज में समाजी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई हर ऐतबार से खानदान या क़बीले की लाज़मी ज़रूरत ठहरता। बेटा रोटी का इंतज़ाम करता, बेटी खाती, यही वजह है कि

औरत मज़हबे इस्लाम की शुक्रगुज़ार है जिसकी आमद के बाद औरत को इंसानियत में ऊंचा मक़ाम और दर्जा मिला। लड़की को ज़िन्दा दफ़न करना गुनाहे अज़ीम ठहरा। उसकी तालीम और खूबियों को कारआमद बताया गया। वर्ना इस्लाम से पहले फरिश्तों और जिन्नों को ख़ुदा की बेटियां कहा जाता, यदि यानि ख़ुदा मुज़क्कर और बुत फरिश्ते मुअन्नस पुकारे जाते।

जिन्स का इख़्तिलाफ़ तबक़ाती इख़्तिलाफ़ में बदल जाता।''

मर्द मालिक और हाकिम तबक़ा, औरत महकूम तबक़ा बन जाती औरत व मर्द आक़ा व गुलाम या हाकिम व महकूम बन जाते उनकी इक़्तिसादी क़दरें भी अलग होतीं।

लड़की की तरफ से डर रहता कि किसी ऐसे शख़्स से शादी न कर ले जो नसली या इक़्तिसादी तौर पर बाप से कमतर हो। गोया यह अख़्लाक़ी मसला इक़्तिसादी मसले से पैदा हुआ होगा।

बाप का तर्का बड़े बेटे को मिलता। हर चीज़ यहां तक कि औरतें जो बाप के इस्तेमाल में शामिल थीं उनको भी बंटवारे के डर से उनको इस विरासत से महरूम रखा जाता। आज भी बहुत से घरानों में यह रस्म जारी है कि लड़की का रिश्ता ख़ानदान से बाहर नहीं करते कि जायदाद का बंटवारा न हो जाए। दूसरे घर न चली जाए चाहे रिश्ता मुनासिब हो या न हो।

मज़हबों की तारीख़ के नए और पुराने मुवर्रिरुख़ और रिसर्च स्कॉलर लड़कियों को ज़िन्दा दफन करने के बारे में मुख़्तलिफ वजहें पेश करते हैं। अख़्लाक़ी और इक़्तिसादी मसले के अलावा बेटी की बली की रस्म क़दीम मज़हबों में देवताओं की भेंट से भी तआल्लुक़ रखती है जबकि क़ुरआन ने खुले और वाज़ेह अंदाज़ में बताया है कि यह अपनी बेटियों को तंगदस्ती के डर से क़त्ल कर देते हैं। गोया दूसरी तमाम बातों को वजह और जवाज़ बनाने वालों को निशानदेही की गई है और ऐसे मकरूह चेहरों को नंगा किया गया है। कहा है कि ''अपनी औलाद को ग़रीबी के ख़ौफ़ से क़त्ल न किया करो हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी रिज़्क़ अता करते हैं।''

अरब में औलादे नरीना से महरूम शख़्स को 'अबतर' कहा जाता। अबतर के मानी जिसकी नस्ल खत्म हो गई हो। जब अरबों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अबतर हैं तो अल्लाह तआला ने अपने प्यारे नबी को कौ़सर यानि जुर्रियत और औलाद की बार बार बशारत दी। आप (सल्ल॰) ने अपनी सबसे छोटी बेटी फातिमा को ''खातूने जन्नत'' करार दिया और औरतों के लिए मिसाल ठहराया। आप चौथी बेटी थीं जिनके बाद दो बेटे हज़रत कासिम और अब्दुल्लाह पैदा हुए लेकिन यह खुर्शी अर्ज़ी साबित हुई उन बेटों का इंतेक़ाल हो गया और बाकी तीन बेटियां भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की ज़िन्दगी में ही वफात पा गईं। एक बेटी तमाम इफ़्तिखारात की अकेली वारिस ठहरी। हज़रत फातिमा भी रसूल सल्ल॰ वे बेहद मुहब्बत करती थीं बहुत सी तारीख़ी किताबों से पता चलता है कि बीबी फातिमा के चेहरे और दोनों हाथों को हुज़ूर सल्ल॰ बोसा दिया करते थे। यह मुहब्बत का बर्ताव एक इन्क़्लाब नहीं तो और क्या था। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपने इरशादाते आलिया से औरत का मुक़ाम बुलंद कर दिया।

बेटी से यह रवैया तमाम ज़मानों में इंसानों को सबक़ देने के लिए काफी है कि वह बेटियों से एहतराम और इज़्ज़त का रवैया अपनाएं। दुनिया के किसी मज़हब और निज़ाम ने औरत को वह हुक़ूक़ और दर्जा नहीं दिया जो इस्लाम ने अता किया। ❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा वज़्जुहा नं॰ 93)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और अल्लाह ने आपको नादार (निर्धन) पाया फिर मालदार बना दिया।

इस प्रकार कि हज़रत खदीजा के व्यापार में आप साझी हो गये। उसमें लाभ हुआ। तत्पश्चात् हज़रत ख़दीजा ने आपसे निकाह कर लिया और अपना तमाम धन-दौलत उपस्थित कर दिया यह तो प्रत्यक्ष मालदारी थी, शेष आपके हृदय की आंतरिक मालदारी के संबंध में तो अल्लाह ही जानता है, कोई मनुष्य उसका क्या अंदाज़ा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पर प्रारंभ से ही ईनआम की बारिश होती रही और भविष्य में भी होती रहेगी। जिस पालनहार ने इस शान से आपका पालन पोषण किया, क्या वह नाराज़ होकर आपको यूँ ही बीच में छोड़ देगा?

सो आप यतीम को न डांटिये।

बल्कि उसकी देखभाल और मन बहलावा करो, जिस प्रकार अल्लाह ने यतीमी की हालत में आपको ठिकाना दिया, तुम दूसरे यतीमों को ठिकाना दो। इसी प्रकार अच्छे चरित्र प्राप्त करने से व्यक्ति अल्लाह के रंग में रंगा जाता है। हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ ने हदीस में कहा है कि मैं और किसी यतीम को पालने-पोसने वाला क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे दो मिली हुई उंगलियाँ जैसे बीच की और अंगूठे के पास की उंगलियाँ।

और माँगने वाले को न झिड़किये।

अर्थात् तुम निर्धन थे, अल्लाह ने अमीरी दी। अब धन्यवाद देने वाले व्यक्ति का हौंसला (साहस) यही होना चाहिए कि मांगने वालों से तंग दिल न हों और ज़रूरतमंदों के प्रश्नों से घबराकर झिड़कने और डांटने का रवैया न अपनायें बल्कि विशाल हृदय और प्रसन्नचित्त से मिलें। हदीसों में मांगने वालों के मुक़ाबले में आपके विशाल चरित्र के जो क़िस्से नक़ल किये गये हैं वे बड़े से बड़े विरोधी को आपके अच्छे चरित्र का दास बना देते हैं।

रुकू नं॰ 1

और अपने पालनहार के अहसान को बयान करते रहा कीजिए।

उपकारकर्ता के उपकार का धन्यवाद के रूप में वर्णन करना धार्मिक रूप से अच्छा है, इसलिए जो ईनआम अल्लाह ने आप पर किये उनका वर्णन कीजिये, विशेष रूप से वह सीधी राह दिखाने वाली नेअमत जिसका वर्णन तीन आयत पहले गुज़रा, उसका लोगों में फैलाना और खोल-खोल कर बयान करना तो आपका परम कर्तव्य है।

धार्मिक कार्यों के लिए ज़मीन तैयार करने की आवश्यकता

धार्मिक संस्थान और जितने भी जरूरत के मामलों हैं उन सब धार्मिक कार्यों के प्रचार के लिए उचित सिद्धांत के साथ देश-विदेश फिरते हुए कोशिश करना धार्म की ज़मीन तैयार करने जैसा है और अन्य जितने भी मामलों हैं वह इस ज़मीन के ऊपर बाग़ात की परवरिश करने जैसा है, बाग़ हजारों प्रकार के होते हैं, कोई खजूरों का है, कोई अनारों का है, कोई सेबों का, किसी में केले हैं और कोई फुलवारियों का बाग है, बाग हज़ारों प्रकार के हो सकते हैं लेकिन कोई बाग दो चीजों के अंदर पूरी पूरी कोशिश करने के बिना नहीं हो सकता। पहली ज़मीन का बराबर और सटीक होना, ज़मीन बराबर करने में प्रयास के बिना या ज़मीन में कोशिश करके खुद उन बागों का स्थायी पोषण किये बिना कोई बाग परवरिश नहीं पा सकता। इसलिये दीन में तबलीगी कामों की कोशिश यह तो धर्म की ज़मीन है और सब संस्थानएं बाग हैं, अब तक धर्म की ज़मीन ऐसी बीहड़ और हर तरह के उत्पादन से इतनी अनुचित हो रहा है कि कोई बाग उस पर नहीं लगता। (मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी तबलीगी दावत)

काम की बातें

● अपने किसी भाई को मुश्किल में देखकर खुश मत हो, मुमकिन है अल्लाह उसे मुश्किल से निकाल कर तुम्हें मुश्किल में डाल दे।

● वह कभी मुतमईन और कानेअ नहीं हो सकता जो हाजाते ज़िन्दगी के अलावा भी और दूसरी चीज़ों की हिर्स रखे।

● हर एक चीज़ की ज़कात है और अक़्ल की ज़कात यह है कि नादानों की बात पर तहम्मुल किया जाए।

● खुद को ऐसा ही ज़ाहिर करो जैसे तुम हो, या वैसे बन जाओ जैसा खुद को ज़ाहिर करते हो।

● जो नसीहत नहीं सुनता वह मलामत सुनने का शौक़ रखता है।

● क़ैदी वह है जिसका दिल उसके परवरदिगार की ओर से बन्द हो जाए और क़ैद वह है जिसे ख़्वाहिशात हर तरफ से घेर लें।

हमारे नयायालयों में न्यायिक रिक्तियों को भरना इतना कठिन क्यों है?

यह तथ्य कि देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों का विवरण कानून मंत्रालय द्वारा राज्य सभा (उच्च सदन) के समक्ष रखा जाता है, न केवल चिंताजनक है, बल्कि एक बढ़ती हुई चिंता भी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के लिए न्यायाधीश कौन होना चाहिए, यह निर्णय करना एक महत्वपूर्ण और वास्तव में एक कठिन काम है, और यह न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की गुणवत्ता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, ख़ासकर जब भारत का क़ानून का राज क़ायम है। मैं किसी भी तरह से यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि रिक्तियों को नहीं भरा जाना चाहिए।

इस लेख के द्वारा हमारा प्रयास है कि संवैधानिक पद सबसे मेधावी को दिया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की पद्धति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। प्रथम न्यायाधीशों के मामले (1981) ने न्यायपालिका पर कार्य पालिका की प्रधानता पर निर्णय दिया, द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की और कहा कि 'परामर्श' का वास्तव में अर्थ सहमति है, तीसरे न्यायाधीश के मामले (1998) ने कॉलेजियम को पांच तक विस्तारित किया-सदस्य निकाय। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता उखक करते हैं और उसमें कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि उच्च न्यायाधीश कॉलेजियम की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं

संविधान ने अनुच्छेद 217 के तहत एक वकील के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के 10 साल के अनुभव के मानदंड को निर्धारित किया है, लेकिन यह भी अनुच्छेद 217(3) में प्रदान किया गया है, 'यदि कोई न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है एक उच्च न्यायालय, प्रश्न का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।' उच्च न्यायालयों में नियुक्ति का विज्ञापननहीं किया जाता है। कोई आवेदन पत्र या नौकरी का विवरण नहीं है और न ही कोई संरचित प्रक्रिया है। न्यायाधीशों का चयन करते समय, कॉलेजियम को पेशेवर क्षमता, अनुभव, खड़े होने, अखंडता, एक स्वस्थ स्वभाव और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक क्षमता की तलाश करनी होती है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम के सामने यह दुविधा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए औसत आयु 45 वर्ष है, जिस समय तक अधिकांश अधिवक्ता पेशेवर रूप से बहत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और वे जजशिप का एक कठिन काम करने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि यह आता है बलिदानों के साथ जो लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं वे बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करने के हित में नौकरी करते हैं।

कॉलेजियम को सिर्फ अनुभव के अलावा और भी बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। एक अधिवक्ता को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए एक वकील की पेशेवर क्षमता सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है जबकि ध्वनि स्वभाव और खड़े होने की गुणवत्ता अस्पष्ट शब्द हैं, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो लोग स्थापना के ढांचे में फिट नहीं होते हैं उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। खड़े होने का मतलब अधिवक्तों की सफलता भी हो सकता है लेकिन सफलता का क्या मतलब है यह स्पष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह समझना है कि एक वकील कितना पैसा कमाता है या यह समझना है कि हालांकि ऐसा बड़ा पैसा कमा नहीं रहा है बल्कि ग़रीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए बहुत सारे संक्षेप में काम कर रहा है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि एक वकील का कौन सा गुण उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त बनाता है। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित व्यक्ति की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

न्यायपालिका लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, सभ्य समाज के सुचारू कामकाज के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामलों से निपटने की आवश्यकता होती है और यह देश की नियति को आकार देता है और इसलिए, उच्चतम प्रतिभा, व्यापक अनुभव और त्रुटिहीन अखंडता वाले लोगों को नियुक्ति के लिए बेंचमार्क होना चाहिए। ❑❑

मृत्यु दर में कमी से बढ़ी देश में बुज़ुर्गों की संख्या

देश में बुज़ुर्गों की जनसंख्या वर्ष 1961 से लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2021 में यह 13.8 करोड़ पर पहुंच गई है। बुज़ुर्गों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी आना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पिछले दो दशकों (2021 तक) में वृद्ध पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक रही है। लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि 2031 में बुज़ुर्ग महिलाओं की संख्या बुज़ुर्ग पुरुषों से अधिक होगी।

इस अध्ययन में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को बुज़ुर्ग माना गया है। एनएसओ ने 'भारत में बुज़ुर्ग 2021' के शीर्षक से अपने अध्ययन में कहा, 'भारत और राज्यों के लिए 2011-2036 में जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में लगभग 13.8 करोड़ बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, जिनमें 6.7 करोड़ पुरुष और 7.1 करोड़ महिलाएं शामिल हैं।' अध्ययन के अनुसार भारत में बुज़ुर्गों की जनसंख्या 1961 से लगातार बढ़ रही है। बुज़ुर्गों की जनसंख्या 1981 की जनगणना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के कारण मृत्यु दर में कमी आने से बढ़ी है। अध्ययन में कहा गया है कि 2011 में भारत में बुज़ुर्गों की आबादी 10.38 करोड़ थी, जिसमें 5.28 करोड़ पुरुष और 5.11 करोड़ महिलाएं शामिल हैं, वहीं 2031 में बुज़ुर्गों की संख्या 19.38 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। इसमें 9.29 करोड़ बुज़ुर्ग पुरुष और 10.09 करोड़ बुज़ुर्ग महिलाएं शामिल होंगी। इसके अलावा देश की आम आबादी 2011 से 2021 के बीच 12.4 प्रतिशत बढ़ गई जबकि इस दौरान बुज़ुर्गों संख्या 35.8 प्रतिशत बढ़ी। अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2021 से 2031 के बीच देश की सामान्य आबादी में 8. 4 प्रतिशत और बुज़ुर्गों की आबादी में 40.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी।

राज्यवार आंकड़ों में यह देखा गया कि देश के 21 प्रमुख राज्यों में केरल की कुल आबादी में बुज़ुर्गों का हिस्सा सबसे ज़्यादा 16.5 प्रतिशत है, जबकि तमिलनाडू में यह 13.6 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 13.1 फीसद, पंजाब में 12.6 फीसद और आंध्र प्रदेश में 12.4 फीसद है। बिहार की कुल आबादी में बुज़ुर्गों का हिस्सा सबसे कम 7.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 8.1 फीसद और असम में 8.2 फीसद है। एनएसओ द्वारा यह अध्ययन वर्ष 2000 से जारी किया जा रहा है और यह इस श्रृंखला का पांचवाँ अध्ययन है।

शहरों के नाम बदलने के पीछे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति

उत्तर प्रदेश के 02 ज़िलों अलीगढ़ और मैनपुरी के नीति नियंताओं ने अपने ज़िले का नाम बदलने की चाहत जताई हैं। दोनों ज़िलों की ज़िला पंचायतों ने इसके लिए बाक़ायदा प्रस्ताव पारित कर अपना काम कर दिया है। अलीगढ़ का नाम को लेकर पहले से भी चर्चाएं होती रही हैं जबकि मैनपुरी के नाम को लेकर ऐसी बहुत ज़्यादा बातें नहीं थीं। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ जबकि मैनपुरी का नाम एक मयन ऋषि के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है। मैनपुरी का नाम बदलने को लेकर थोड़ा विरोध भी हुआ लेकिन बहुमत की राजनीति वहां भारी पड़ी और नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हो गया।

यूँ राज्यों या ज़िलों का नाम बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं है। पहले ज़िला स्तर पर, चाहे पंचायत हो या नगर निगम, प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद राज्य सरकार में जाता है। राज्य विधानसभा से होते हुए सरकार की सहमति के बाद केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास यह प्रस्ताव जाता है और वह अन्य एजेंसियों जैसे रेल मंत्रालय, डाक विभाग, सर्वेक्षण विभाग से रिपोर्ट मंगाता है और तब केन्द्र इस पर अपनी मोहर लगाता है। केन्द्र की सहमति के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती।

राज्यों के नाम बदलने के लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। राज्य या संसद इस मामले में विधेयक लाती है या इसके लिए भी राष्ट्रपति की सहमति ज़रूरी होती है। पुन: यह बिल संसद में लाया जाता है और तब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। केन्द्र सरकार के पास 50 से अधिक ऐसे प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। 2018 में नाम परिवर्तन के लगभग 25 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई थी लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल का नाम बंग्ला करने की मंज़ूरी बक़ाया है। ममता सरकार इसके लिए काफी दबाव डालती रही है।

आज़ादी के बाद ज़िलों, शहरों राज्यों के नाम या उनकी वर्तनी बदलने की श्रृंखला काफी चली। आज़ादी के तत्काल बाद त्रावणकोर कोचीन राज्य के नाम केरल हो गया था। आपको यह भी याद होगा उड़ीसा कैसे ओडिशा हो गया और इसी तरीके से पांडिचेरी का नाम पुड्डुचेरी हो गया। बॉम्बे को मुंबई और कलकत्ता को कोलकाता होते हुए सबने देखा है। लगभग 20

आज जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद के नाम पर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक कुछ ज़्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं। फिरोज़ाबाद ज़िला पंचायत ने भी अपने जिले का नाम चंदन रखने का प्रस्ताव रख दिया है। इसके अलावा संभल का नाम पृथ्वीराज नगर रखने की बात हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुशभाव नगर रखने की बात है।

वर्ष पहले बने उत्तरांचल का नाम भी बाद में बदलकर उत्तराखंड हुआ।

शहरों के नाम की वर्तनी बदलने का भी अपना एक अलग इतिहास है। बंगलौर अब बेंगलूरु हैं। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, नए रायपुर का नाम अटल नगर होते हुए हम सब ने देखा है। नाम बदलने की राजनीति में दक्षिण के राज्य काफी आगे रहे हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लगभग 06 दर्जन से ज़्यादा ज़िलों और शहरों का नाम बदल दिया गया। कर्नाटक में यह संख्या डेढ़ दर्जन के आसपास है और केरल में लगभग 03 दर्जन। महाराष्ट्र ने भी इस काम को करने में बहुत संकोच नहीं किया लेकिन उत्तर प्रदेश भी इस काम को तेज़ी से बढ़ाने के मूड में लगता है। योगी शासन के दौरान मुग़लसराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है। इसके अलावा फैज़ाबाद जिला नहीं रहा, उसे अयोध्या कहा जाने लगा हे। इससे पहले कानपुर देहात का नाम भी रमाबाई नगर रखा गया था। बनारस तो काफी पहले वाराणसी हो चुका है।

आज जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद के नाम पर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक कुछ ज़्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं। फिरोज़ाबाद ज़िला पंचायत ने भी अपने जिले का नाम चंदन रखने का प्रस्ताव रख दिया है। इसके अलावा संभल का नाम पृथ्वीराज नगर रखने की बात हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुशभाव नगर रखने की बात है। सबसे संवेदनशील प्रक्रिया सहारनपुर में होने की बात है। यहां मुस्लिम समुदाय में काफी चर्चित नाम देवबंद का नाम भी बदलने की कोशिशें की गईं। इसी तरीके से शाहजहांपुर का नाम भामाशाह

बाक़ी पेज 11 पर

मझधार में अफगानिस्तान क्रिकेट का भंविष्य

अफ़ग़ानिस्तान फिलहाल राजनीतिक उथल-पुथल से गुज़र रहा है। अमेरिकी सैनिकों की स्वदेश वापसी और तालिबानी लड़ाकों के दोबारा प्रभावी होने से पूरा देश इस समय पसोपेश की स्थिति में है। इस संकट के समय में खेल के बारे में कोई बात करना या उसके भविष्य की चिंता करना हर तरह की प्राथमिकता से बाहर है। अभी अफगानी अवाम की चिंता देश में शासन की स्थिरता, सुरक्षा और भूख से पार पाना है। बावजूद बदले हालात के इस दौरान क्रिकेट की कुछ बात ज़रूर मौजूं हो चली है। गेंद और बल्ले के यह खेल चार करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए शांति का पैग़ाम लाया है। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहे तो अपनी प्रतिभा से वे क्या कर सकते हैं।

महज़ दो दशक पहले इस खेल में पूर्ण रूप से पर्दापण के बाद जितनी तेज़ी से उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं है, वह क़ाबिले तारीफ़ है। पर अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद वहां इस खेल का भविष्य, उसके टी-20 विश्व कप में शामिल होने और देश में इसके विकास को लेकर कई प्रश्न उठने लगे हैं।

दरअसल, तालिबान के कब्ज़े के बाद अफगान खिलाड़ियों को अपनी और परिवार की सुरक्षा और खेलों के विकास को लेकर चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि इंग्लैंड में 'द हंड्रैड' खेल रहे दिग्गज स्पिनर राशिद ख़ान और मोहम्मद नबी ने विश्व के नेताओं से मदद की अपील की है। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक साक्षात्कार में यह दावा किया है कि तालिबान से क्रिकेट को कोई तरा नहीं है। खिलाड़ियों के परिवार सुरक्षित नहीं है और क्रिकेट के विकास या टूर्नामेंटों में टीम की भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका मानना है कि 1996 से 2001 तक के शासन में तालिबान ने क्रिकेट को बढ़ावा दिया। वे इस खेल के प्रशंसक और खिलाड़ियों के मुरीद हैं।

अफग़ानिस्तान में क्रिकेट की पहली संस्था 1995 में बनी। यहां की टीम में ज़्यादातर वैसे खिलाड़ी थे जो सोवियत रूस के देश के शासन में दख़ल के बाद पाकिस्तान के शरणार्थी कैंपों में रहते थे। इन्होंने वहीं से क्रिकेट का ककहरा सीखा। 1996 में तालिबान के अफग़ानिस्तान पर कब्ज़े के बाद वर्ष 2000 तक खेल में कोई भी विकास नहीं देखा गया। हालांकि यह भी सच है कि उसने 2000 में जिस एकमात्र खेल को देश में इजाज़त दी वह क्रिकेट था।

2001 में अमेरिकी दख़ल से जनता की चुनी हुई सरकार आने के बाद अफग़ान क्रिकेट ने तेज़ी से विकास किया। विश्व की शीर्ष क्रिकेट संस्था से मान्यता मिलना और टी-20 से टैस्ट मैचों तक का सफ़र, वहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा की बानगी है। फटाफट क्रिकेट की रैंकिंग में बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और जिंबाब्वे जैसे देशों को पीछे छोड़कर उसने शीर्ष दस में जगह बनाई है। विश्व कप में सीधे क्वालिफाई करने वाली आठ टीमों में अफग़ानिस्तान भी शामिल है।

हालांकि इसी वर्ष अक्तूबर- नवंबर में होने वाले टी-20 क्रिकेट विश्व कप में उसके खेलने को लेकर संशय बरकरार है। अफग़ानिस्तान बोर्ड के अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी यह तय नहीं माना जा सकता कि टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में खेल पाएगी या नहीं। इसके पीछे कई कारण भी हैं। तालिबान ने काबुल सहित देश में मौजूद छह बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर कब्ज़ा जमा लिया है। ऐसे में खिलाड़ियों के अभ्यास और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं तालिबान के रुख़ पर निर्भर करेंगी।

वहीं आईपीएल में खेलने को लेकर भी कई तरह की पेचीदगियां बाक़ी हैं। राशिद और नबी जिस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है उन्होंने इनके खेलने पर मुहर लगाई है लेकिन, अभी भी भारत सरकार का इस मसले पर रुख क्या रहता है इसका इंतज़ार रहेगा। वैसे भारत का मानना है कि वह ताक़त के दम पर सत्ता हासिल करने वाले को मान्यता नहीं देगा। ऐसे में तालिबानी शासन के तले क्रिकेटरों के भविष्य पर प्रश्न उठना स्वाभाविक ही कहा जाएगा। तालिबान क्रिकेट को अपना पसंदीदा खेल बताते हैं। उन्हें राशिद ख़ान भी बेहद पसंद हैं। एक किताब 'द तालिबान क्रिकेट क्लब' में लेखक तिमेरी एन. मुरारी ने क्रिकेट और तालिबान के रिश्ते पर बात की हैं। उन्होंने बताया है कि 'वर्ष 2000 में जब क्रिकेट से प्रतिबंध हटा तो वह मेरे लिए सपने जैसा था।' साथ ही उन्होंने इस किताब में वैश्विक स्तर पर अपने शासन को वाजिब ठहराने के लिए क्रिकेट को कैसे हथियार बनाया, इसका भी ज़िक्र किया है। रॉयटर्स के एक लेख के मुताबिक़ तालिबान के एक कमांडर ने क्रिकेट पर अपनी राय रखते हुए कहा था कि जब अफग़ानिस्तान की टीम किसी के साथ खेलती है तो हम लोग रेडियो पर इसे सुनते हैं। यह उन्हें बेहद पसंद है।

अफग़ानिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल पर भारत नज़र बनाए हुए है। उसने दो दशक में दो अरब डॉलर का निवेश इस देश के ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए किया है। तालिबान के शासन में यहां चल रही सभी विकास की परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उसने यहां क्रिकेट के विकास पर काफी पैसे खर्च किए हैं। 2016 में ग्रेटर नोएडा के शहीद पथिक सिंह स्टेडियम को अफग़ानिस्तान के घरेलू मैदान के रूप में बदले जाने के बाद से ही भारत के साथ उसके 'क्रिकेट रिश्ते' में काफी मज़बूती देखी गई। ❑❑

पाकिस्तान-न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए 25 प्रतिशत दर्शकों की अनुमति

पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑप्रेशन सेंटर (एन.सी.ओ.सी.) ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आगामी सीरीज के दौरान मैदान पर 25 प्रतिशत दर्शकों की मौजूदगी को मंज़ूरी दे दी है। एन.सी.ओ.सी. की इस घोषणा के अनुसार लगभग 45000 दर्शकों को वनडे देखने की अनुमति दी जाएगी, जबकि लगभग 5500 दर्शकों को 20-20 सीरीज के लिए मैदान में बैठने दिया जा सकता है, हालांकि मैदान में केवल उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगे होंगे और जिनके पास कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पी.सी.बी.) के मुख्य कार्यकारी वसीम ख़ान ने कहा कि ''दर्शक किसी भी खेल आयोजन का सार होते हैं, क्योंकि वे खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ठता, प्रदर्शन और आनंदमय माहौल बनाते हैं। हम पी.सी.बी. को 08 मैचों के लिए 25 प्रतिशत दर्शकों को आमंत्रित करने की अनुमति देने के लिए एन.सी. ओ.सी. के आभारी है।' उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान दौरे पर 03 वनडे मैच खेलेगा, जो क्रमशः 17, 19 और 21 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

उम्र के साथ दौड़े दिमाग़

मध्यवय यानि 40-45 वर्ष के बाद अगर कमज़ोर याद्दाश्त या डिमेंशिया जैसी स्थिति से बचना है, तो शारीरिक रूप से सक्रिय रहना होगा। एक शोध के अनुसार इस उम्र में किसी खेल या शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से मस्तिष्क की कोशिकाओं के नष्ट होने की गति कम की जा सकती हैं। इससे पहले शतरंज खेलने, वर्ग पहेली सुलझाने, नए नाम या फोन नंबर याद करने आदि मानसिक गतिविधियों को ही दिमाग़ बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता था।

शोध कहता है कि.....

किसी भी शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से दिमाग़ के मोटर कॉर्टेक्स नामक हिस्से की कार्यक्षमता बढ़ती है। यह शरीर की बड़ी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। इसके ज़रिए चलने, दौड़ने, उछलने, कूदने जैसे क्रियाकलाप सम्पन्न होते हैं।

मोटर कॉर्टेक्स छोटी मांसपेशियों को भी नियंत्रित करता है। इससे फाइन मोटर स्किल्स बेहतर होती है। छोटी-छोटी चीज़ों को उठाने, पकड़ने या बनाने जैसी गतिविधियां इसी के माध्यम से संभव हो पाती हैं। अगर आप इस हिस्से की सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक कला से जुड़े जैसे पेंटिंग करना, क्राफ्ट बनाना व कविता लिखना।

ये व्यायाम हैं काम के...

साइकिल चलाना - कम से कम आधा घंटा रोज़ साइकिल चलाएं। इससे दिमाग़ को खूब ऑक्सीजन मिलती है और न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता बढ़ती है। ये न्यूरांस एक दूसरे से जुड़कर ही जंक्शन का जाल बनाते हैं और कोई भी संदेश पहुंचाने में महत्पवूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पैदल चलना : नियमित दौड़ने से मस्तिष्क को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग़ी कार्यप्रणाली दुरुस्त रहती है। इस उम्र में अपनी क्षमता के मुताबिक धीरे-धीरे शुरुआत करें। घर पर भी एक ही जॉगिंग की जा सकती है।

तैराकी - यह ऐसी गतिविधि है जिसे करते समय शरीर पर अधिक वज़न नहीं पड़ता है, इसलिए मध्य व अधिक आयु में भी आसानी से की जा सकती है। पानी की वजह से आप आसानी से तनावमुक्त भी हो जाते हैं। आमतौर पर मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास तनाव की वजह से भी प्रभावित होता है।

नृत्य : इस उम्र में आप चाहें तो नृत्य भी कर सकते हैं। संगीत वैसे भी तनाव कम करता है। अपनी क्षमतानुसार या किसी के मार्ग दर्शन में आप नाचेंगे तो खुशमिजाज़ रहने में मदद मिलेगी।

शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से न्यूरोकैमिकल एंडॉर्फिस सक्रिय होते हैं, जो मन को खुश और सोच को सकारात्मक बनाते है। इससे तनाव, चिंता, गुस्सा या अवसाद पास नहीं भटकते हैं, जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के दुश्मन माने जाते हैं और स्मृति कमज़ोर करने के ज़िम्मेदार भी।

40 से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपनी शारीरिक ज़रूरतों और स्वास्थ्य समस्याओं के मुताबिक विशेषज्ञ की सलाह से कोई भी शारीरिक गतिविधि अपनानी चाहिए। खासतौर पर ऑर्थराइटिस और स्पॉन्डलाइसिस से पीड़ित व्यक्ति इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

मध्यवय में आमतौर पर शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे शरीर में दर्द की शिकायत बनी रह सकती है इसलिए कार्यक्षमता के अनुसार ही व्यायाम चुनें। साथ ही उसे शुरू करने से पहले वार्मअप और बाद में कूल डाउन करना न भूलें। ❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

भी चलता है।

आज हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गये हैं जहां विधायिका ही सदन के भीतर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है तो निश्चित रूप से विधान द्वारा बनायी गई संसदीय प्रणाली की शुचिता पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। लोकतंत्र में यह प्रश्न कभी नहीं उठना चाहिए क्योंकि पूरा प्रशासन संसद से ही ताक़त लेकर चलता है क्योंकि लोकसभा को ही हमारे संविधान ने सरकार बनाने और गिराने का अधिकार दिया है। हमने पूर्व में भी देखा है कि किसी एक मुद्दे पर सदन के भीतर हंगामा किस तरह बढ़-चढ़ जाता है। महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर मनमोहन सरकार के दौरान राज्यसभा में उससे भी बढ़ कर नज़ारा पेश हुआ था जैसा श्री बाजवा ने पेश किया है। लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का यह एक तरीक़ा हो सकता है मगर सदन की पवित्रता और शुचिता को भंग करना किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह संबंधित सभा ही हो सकती है जो अपने सदस्यों को विशेषाधिकारों से लैस करती है। इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि सदन के भीतर विपक्षी सदस्यों को नियमों के अनुसार अपना पक्ष रखने के लिए जो अधिकार दिये गये हैं उनका उपयोग करने की इजाज़त भी उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ मिले, जिसमें स्थगन का काम रोको प्रस्ताव भी एक होता है।

हमारे विचार में संसद में इस समय चर्चा, विधायी और संसद की कार्रवाई का जो मेयार है वह किसी से छिपा नहीं है देश का हर नागरिक चिंतित है कि आख़िर हो क्या रहा है। सर्वदलीय बैठकों के बावजूद किसी भी अधिवेशन में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई। न तो किसी मुद्दे पर ठीक से चर्चा हो पाई और न एजेंडों के अनुसार बिल पेश किए जाते हैं और जब हंगामे की वजह से समय नहीं मिलता तो आख़िरी समय में केवल बिलों को मंज़ूरी की रस्म अदा कर ली जाती है। अब तो तय समय तक लोकसभा का अधिवेशन भी नहीं चल पा रहा है। समय से पहले ही सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस वर्ष भी मानसून सत्र में कुछ ऐसा ही हुआ, पूरे सत्र के दौरान कार्रवाई के नाम पर हंगामा होतारहा जिसकी वजह से कभी संसद की कार्रवाई कुछ घंटों के लिए स्थगित की जाती रही तो कभी पूरे दिन के लिए। पी. आर. लेजिसलेटिव रिसर्च के अनुसार मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 97.30 यानि कुल 193.30 घंटे काम होना था लेकिन दोनों सदनों में काम 49.30 घंटे हुआ, बाकी समय हंगामा या स्थगन की भेंट चढ़ गये। इस दौरान बिल तो तो पास हुए लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सकी जिसकी वजह से क़ानून में कमियां और अच्छाईयां सामने नहीं आ सकीं।

इसके लिए सरकार विपक्ष को और विपक्ष सरकार को दोषी ठहराकर अपना दामन झाड़ लेती है। लेकिन इससे देश को जो हानि हो रही है उसकी भरपाई कैसे होगी? इससे देश का हर नागरिक परेशान और फिक्रमंद है। अब तो भारत के चीफ जस्टिस (सी.जे.आई.) एन.वी रमन्ना ने भी विधायी कार्यों के दौरान संसद में चर्चा के स्तर पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि आज बनाए गए कानून में कोई वजाहत नहीं है। सरकार के साथ-साथ जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अंतर्गत 75वीं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अपने दर्द को ज़ाहिर करते हुए कहा कि न तो कानून बनाने के दौरान संसद में पूरी बहस होती है और न ही चर्चा का स्तर पुराने कानूनसाजों की तरह होती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले संसद में बिल की मंज़ूरी के दौरान बड़ी और खुलकर चर्चा की एक अच्छी परंपरा रही है जिसकी वजह से न्यायालयों के लिए उन कानूनों के उद्देश्यों को समझना, और जानना आसान होता था लेकिन आज इस में गिरावट आई है।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एम. रामामूर्ति के विवादित कारोबारी बिल पर चर्चा का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की चर्चा के बाद पास कानून के लागू होने के बाद अदालतों में उसकी तशरीह का बोझ कम होता है। उनका आगे कहना था कि आज कल बनाए गए कानून अस्पष्ट हैं जो न केवल सरकार के लिए दुख का कारण बनते हैं बल्कि आम लोगों के भी परेशानी का कारण बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने संसद में बिल मंज़ूर कराने की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि यह चिंताजनक बात है। अब हमें कानून अस्पष्ट नज़र आता है। आज के कानून में कोई स्पष्टता नहीं है हम नहीं जानते कि कानून किस मक़सद के लिए बनाया गया है। इस से मुक़दमों की संख्या भी बढ़ती है और साथ साथ जनता को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि संसद के दोनों सदनों में बुद्धिजीवी और वकीलों के सदस्यों की कमी है। मुख्य न्यायाधीश के इस रिमार्क को संसद कार्रवाई में रुकावट के दौरान चर्चा के बिना बिलों की मंज़ूरी की सूरत में देखा जा रहा है। वकीलों को अवामी ज़िन्दगी में आने की सलाह देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब समय आ चुका है कि क़ानूनी पेशे से तआल्लुक रखने वाला वर्ग समाजी और आम ज़िन्दगी में आगे आएं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी वकालत के पेशे में लगे थे जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद ने न केवल आज़ादी के लिए अपना पेशा छोड़ा बल्कि अपनी संपत्ति और परिवार को भी छोड़ा। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों पर यह कहते हुए जोर दिया कि वह समाजी व अवामी ज़िन्दगी में शामिल हों और अपने पेशे बंद रहने, पैसा कमाने और आराम की ज़िन्दगी बिताने के बजाय देश की ख़िदमत करें।

दरअसल पिछले कुछ सालों में संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और दूसरे यह कि विधायी की पुरानी परंपरा चली आ रही थी उस पर बहुत कम अमल हो रहा है। अब तो अध्यादेश के ज़रिये पिछले दरवाज़े से कानून बनाने का दौर चल पड़ा है। बहुत कम बिलों को चर्चा के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाता है। बिलों पर चर्चा होती है तो उसका स्तर भी गुज़रे दौर की तरह नहीं होता न तो बातचीत, चर्चा और न विपक्ष को भरोसे मे लेकर कानून बनाया जाता है और न ही बहस के दोरान पेश किए साक्ष्य/तत्वों पर विचार किया जाता है जिसका नतीजा यह निकलता है कि बिल कानून बनने के बाद भी विवादित रहता है और उन पर न्यायालयों में मुक़दमात चलने लगता है - क़ानूनसाज़ी से लोगों की परेशानी कम होने के बजाए बढ़ ही जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश भी यहीं संदेश देना चाहते हैं जिस पर संजीदगी से विचार होना चाहिए। संसद में क़ानूनसाज़ी और चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए ताकि अड़चनें पैदा न हों सबको साथ में और भरोसे में लेकर काम करना चाहिए जिस की आज कमी देखने में आ रही है।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

पर ज़ोर देती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ग़लत प्रथा है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 170 के उद्देश्य के विपरीत है, जिसमें आरोपियों की हिरासत के बारे में कहा गया है। उसने धारा 170 की व्याख्या करते हुए कहा कि आरोपियों की हिरासत का मतलब जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी नहीं है, इसका मतलब है आरोपियों की अदालत के सामने पेशी। इस संदर्भ में उसने विभिन्न उच्च न्यायालयों के पिछले फैसले भी उद्धृत किए, जिनमें कहा गया था कि कोई भी अदालत सिर्फ इसलिए आरोपपत्र को ख़ारिज नहीं कर सकती कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने गिरफ्तार करने की शक्ति और गिरफ्तारी के औचित्य के फर्क को भी सामने रखा। जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का महत्व इस कारण भी है कि उसने गिरफ्तारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाधित होने को भी रेखांकित किया है, इस पर कम ही ध्यान दिया जाता है जिस देश की जेलों में बंद क़ैदियों में करीब 70 प्रतिशत विचारधीन क़ैदी हों और जहां बात बात में गिरफ्तारी एक ख़तरनाक प्रवृत्ति के रूप में सामने हो, वहां सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला वाक़ई बेहद महत्वपूर्ण है।❑❑

शेष.... तालिबान के अफग़ानिस्तान पर...

पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से मुजाहिदीन सेना तैयार कर उसे धीरे धीरे अफग़ानिस्तान में सोवियत सेनाओं के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भेज दिया था। यह इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही हैं यह भी संभव है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी पैदावार को तालिबान के नाम पर अफग़ानिस्तान भेज रहा हो। तालिबान नेताओं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के बीच गहरा दोस्ताना रिश्ता साफ दिख रहा है। अफग़ानिस्तान में पाकिस्तान ने अपने अनुभव और अपनी संस्थाओं का पूरा उपयोग किया है। लेकिन लगता नहीं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान और अफग़ान तालिबान के समागम से एक नया राक्षम जन्म लेगा, जो पाकिस्तान को बंटवारे की ओर ले जाएगा, क्योंकि रिश्ते दूरदृष्टि से पनपते हैं, चतुराई से नहीं। सच सच है कि फिलहाल अफग़ानिस्तान एक ऐसी पहेली बन गया है, जिसे भारत सरकार को अपनी कुशल कूटनीति और विवेक से सुलझाना पड़ेगा। हमारे ज़ेहन में तालिबान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का भाव सालों से पनपता रहा है वह एक ठोस कदम उठाने में हमारी रुकावट बन सकता है। लेकिन समझदार देश अपने और अपने अवाम के हित में कोई अप्रत्याशित और नया क़दम उठाने से नहीं चूकते। इसलिए शायद हें अपने पड़ोसी देशों से सहायता मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो तालिबान के दरवाज़े देशों से सहायता मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो तालिबान के दरवाज़े खोलने में मदद कर सके। चीन तालिबान से रिश्ते बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। इस संदर्भ में तालिबान का रवैया अपने हित से प्रेरित है। यहां तक कि चीन के अपने सहयोगी उइगुर मुसलमानों को भी भूल गए हैं। ज़ाहिर है, स्वार्थ परम सर्वोच्च है। भारत को भी अपने राष्ट्रहित को देखते हुए कूटनीतिक क़दम उठाना चाहिए।❑❑

शेष.... प्राकृतिक संक्रमण....

से पहले संक्रमित हुए लोगों में अब तक (डेढ़ वर्ष) बचाव है इसलिए ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक बचाव हो सकेगा।

प्रश्नः- तो क्या टीके का प्रभाव भी लंबे समय तक बरक़रार रहेगा..?

उत्तरः- दरअसल, संक्रमण होने पर वायरस एक सप्ताह तक शरीर के अंदर अपनी संख्या बढ़ाते रहता है। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता भी उसके अनुरूप विकसित होती है। टीके का प्रभाव भी काफी समय तक बरक़रार रहना चाहिए।

प्रश्नः- किस आयु के बच्चों को पहले टीका देने की ज़रूरत है?

उत्तरः- किसी भी टीका और दवा से कितना फायदा और नुकसान होता है, पहले उसका मूल्यांकन होता है। वयस्कों में कोरोना से करीब डेढ़ प्रतिशत मौत होती है। इस वजह से एक लाख कोरोना संक्रमित वयस्क लोगों में से करीब डेढ़ हज़ार मरीज़ों की मौत हो जाती है। टीकाकरण से करीब 80 प्रतिशत मौत को कम कर दिया जा सकता है। यह किसी भी टीके के लिए बड़ी उपलब्धि है। अभी तक के साक्ष्य के अनुसार कोरोना से 10 लाख बच्चों में से दो की मौत होती है इसलिए किसी भी आयु के बच्चों को टीका देने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि उससे कितना फायदा होगा। फायदा होने पर बच्चों को टीका ज़रूर देना चाहिए।

प्रश्नः- आप कोवैक्सीन के ट्रायल में भी शामिल रहे हैं, अब तक के ट्रॉयल में बच्चों के लिए यह टीका कितना सुरक्षित है..?

उत्तरः- दो से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को तीन आयु वर्ग में बांटकर यह ट्रायल किया गया हैं पहले 12 से 18 साल के किशोरों को टीका देकर यह देख लिया गया कि टीका सुरक्षित है, नियामक एजेंसी भी संतुष्ट हो गई। इसके बाद छह से 12 वर्ष की आयु के बच्चों पर टीके की सुरक्षा परखने के बाद ही दो से छह वर्ष के बच्चों को टीका दिया गया रिपोर्ट जल्द ही आएगी।❑❑

शेष.... शहरों के नाम बदलने के पीछे...

के नाम पर रखने की मांग हुई है। मुज़फ्फर नगर का नाम लक्ष्मी नगर रखने की बात है जबकि गाज़ीपुर जिले का नाम महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधि के नाम पर गाधिपुरी करने की मांग हुई है।

दरअसल ज़िलों, शहरों या राज्यों का नाम बदलने के पीछे सिर्फ एक रणनीति काम करती है और वह है वोट की राजनीति। मायावती ने भी जिलों के गठन और उनके नाम बदलने का सिलसिला इसी आधार पर किया था। यह बात दूसरी है कि बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने कई पुराने नाम बहाल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट आधार को मज़बूत करने के लिए यह सिलसिला शुरू किया और विवाद की हद तक आगे गए। उन्होंने यह सभी नाम महान हस्तियों, जाति प्रतीक पुरुषों के नाम पर रखने का सिलसिला 2019 के चुनाव से पूर्व शुरू किया था और अब फिर से आगे बढ़ रहा है। विशेषकर वे नाम बदले जा रे हैं जो मुग़ल काल में रखे गए थे। योगी आदित्यनाथ का तो यहां तक मानना था कि नाम में बहुत कुछ है। आख़िर लोग अपने बच्चों के नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रखते। दूसरी ओर तर्क भी दिया जाता है कि मुग़ल काल के दौरान भी इलाहाबाद में कुंभ होता रहा या किसी मुग़ल शासक ने काशी या बनारस का नाम बदलने की कोशिश नहीं की। दरअसल ऐसे बहुत सारे परिवर्तन सिर्फ वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए किए जाते हैं। यह बात दूसरी है कि बहुत सारी ऐसी कोशिशें परवान नहीं चढ़तीं। केन्द्र सरकार भी इन बातों को समझती है।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **29 Aug.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केन्द्र को निर्देश

•अब बच्चों की बारी •आरोप और गिरफ्तारी

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केन्द्र को निर्देश

1941 में स्थापित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसकी सेवाएं आपराधिक एवं महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए ली जाती है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय में डी.ओ.पी.टी. (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अंतर्गत कार्य करती है परंतु समय-समय पर इसकी भूमिका और निष्पक्षता पर सवाल भी उठते रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मई 2013 में कोयला खानों में लाइसेंसों के आबंटन में अनियमितताओं संबंधी सी.बी.आई. की जांच में हस्तक्षेप के प्रमाणों का हवाला देकर भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों का सामना कर रही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को फटकार लगाते हुए सी.बी.आई. को 'पिंजरे में बंद तोता' एवं 'हिज मास्टर्स वायस' कहा था।

उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने सीबीआई पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियंत्रित होने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सी.बी.आई. के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर एक बहस छिड़ गई थी तथा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनवरी 2017 में आरोप लगाया था कि ''नरेन्द्र मोदी सरकार ने सीबीआई को कांसप्रेसी (साज़िश) ब्यूरो ऑफ इंडिया में बदल दिया है। और अब मद्रास हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को केन्द्र सरकार से सी.बी.आई. को कानूनी दर्जा देकर प्रशासकीय हस्तक्षेप से मुक्त करने और इसकी स्वायत्तता यकीनी बनाने के लिए क़ानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों का हवाला दे हुए कहा कि ''सीबीआई भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के हाथों में एक राजनीतिक औज़ार बन गई है जिसे स्वतंत्र करने तथा 'नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की भांति स्वायत्तता देने की आवश्यकता है जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह हो।'' हाईकोर्ट ने सीबीआई को अधिक शक्तियां देने तथा इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और इसके लिए अलग से बजट आबंटित करने के अलावा इसके निदेशक को भारत सरकार के सचिव के समान शक्तियां प्रदान करने की बात भी कही जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करें। चूंकि लंबे समय से सीबीआई के कामकाज और इसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता आ रहा है, अत: इसे कथित सरकारी दबाव से मुक्त करने के लिए क़ानूनी स्वायत्तता प्रदान करके सरकार अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से बच सकती है। यही नहीं, इससे जहां सी.बी.आई. की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी वहीं गंभीर आपराधिक मामलों के दोषियों को उनके अंजाम तक जल्दी पहुंचाया जा सकेगा।

अब बच्चों की बारी

बच्चों के लिए टीके जायकोव-डी को मंज़ूरी मिलना टीकाकरण की दिशा में किसी बड़े क़दम से कम नहीं है। अभी तक टीके 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को ही लगाए जा रहे हैं। इससे कम आयु वालों के लिए टीका नहीं था। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है इसलिए भी बच्चों का टीकाकरण ज़रूरी हो गया था। देश में 12 से 18 वर्ष के बीच की आबादी 26 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी के पांचवें हिस्से से कुछ कम है इसलिए अगर समय रहते बच्चों का टीकाकरण नहीं किया गया तो ख़तरा सामने खड़ा रहेगा। बच्चों को टीके इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब ज़्यादातर राज्यों में स्कूल-कॉलेज खोलने की क़वायद पूरी कर रहे हैं। जब बच्चे बाहर घरों से निकलें तो ज़ाहिर है भीड़ से बचाव संभव नहीं होगा और संक्रमण का ख़तरा बढ़ेगा इसलिए इतनी जल्दी 18 से कम आयु वालों का टीकाकरण होगा, महामारी का जोखिम उतना ही कम किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के लिए बने जिस टीके को आपात इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली है, वह स्वदेशी है। तीन खुराक़ वाले इस टीके की ख़ूबी यह बताई जा रही है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो डीएनए आधारित है जबकि अभी तक दुनियाभर में जितने भी टीके आए हैं, वे आरएनए पर आधारित हैं। अब तक 28 हज़ार से ज़्यादा लोगों पर इसके तीसरे चरण का परीक्षण हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि यह टीका 66 प्रतिशत तक कामयाब है। यह टीका सूई के ज़रिए नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में सूई को लेकर एक प्रकार का भय बना रहता और इस डर के मारे वे टीकाकरण से बचते देखें गए हैं। विशेषकर से बच्चों के साथ यह समस्या ज़्यादा ही है। जायकोव-डी टीका बांह पर चिपका दिया जाता है और तीन दिन में त्वचा के ज़रिए शरीर में पहुंच जाता है। अगर यह पूरी तौर पर कारगर रहा तो फिर बारह से कम आयु वर्ग के लिए बिना सूई की यह तकनीक सुविधाजनक साबित हो सकती है। अभी शिशुओं से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को भी कोरोना से बचाना कम बड़ी चुनौती नहीं है। हाल में कनाडा में एक शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि अगर तीन वर्ष से छोटे बच्चे कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो घर के दूसरे बड़े सदस्यों के लिए जोखिम पैदा हो जाता है इसलिए दुनिया को अब छोटे बच्चों के टीके को भी इंतज़ार है। पर टीका आ जाना ही काफी नहीं है। चुनौतियाँ और भी है। भारत में टीकों में उत्पादन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। टीका उतपादक कंपनियां ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन कर नहीं पा रही है। ज़ाहिर है, उनकी अपनी सीमाएं और मजबूरियां हैं। टीकों की खरीद नीति भी अड़चन भरी साबित हुई है। इससे टीकाकरण अभियान बाधित हुआ है। देश की एक तिहाई आबादी को ही कोरोना टीके की पहली खुराक लग पाई है। दो खुराक लेने वालों का आंकड़ा बहुत ही कम है। पहली खुराक के बाद लोगों को दूसरी खुराक के लिए लोगों का लंबा इंतज़ार करना पड़ा है हालांकि बच्चों का टीका बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला ने दस से बारह करोड़ टीके सालाना उत्पादन की बात कही है। ऐसे में 26 करोड़ बच्चों को जल्द टीकाकरण करना इतना आसार नहीं आता। अब तक के अनुभवों से सबक़ लेते हुए ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बच्चों के टीकाकरण में वैसा व्यवधान न आए जिससे हम अब तक दोचार हो रहे हैं।

आरोप और गिरफ्तारी

अग्रिम ज़मानत से संबंधित एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बेहद प्रासंगिक और दूरगामी महत्व का है कि आरोप पत्र दाख़िल करते समय हर आरोपी की गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। दरअसल एक व्यक्ति ने अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था, अपनी अर्ज़ी में कहा था कि सात वर्ष पहले के धोखाधड़ी के एक मामले में 83 लोगों के साथ उसे भी आरोपी बनाया गया था। उसने छानबीन में सहयोग किया। अब अदालत में आरोप पत्र दाख़िल करने से पहले रूटीन के तहत उसे अरेस्ट मेमो जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपपत्र में नाम होने से ही गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है, जब मामला गंभीर हो या आरोपी के भाग जाने या उसके द्वारा गवाह को प्रभावित करने की आशंका हो या फिर पूछताछ बेहद आवश्यक हो। अमूमन अदालतें आरोपपत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए औपचारिकता के तौर पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी

बाक़ी पेज 11 पर

यूपी : रहस्यमय बुख़ार से 10 दिन में 100 मौतें, हर ज़िले में 500 नए मरीज़ मिल रहे

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी रहस्यमय बुख़ार ने विकराल रूप धारण कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक दस ज़िलों में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 50 प्रतिशत बच्चे हैं। बीते दिनों में 20 जिलों तक यह वायरल फैल चुका है और हर जिले में औसतन रोज़ 500 नए मरीज़ मिल रहे हैं। डॉक्टर इसे इन्फ्लूएंजा वायरस के स्वरूप में बदलाव की आशंका के तौर पर देख रहे है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है। कई बीमारियों के लक्षण इसमें होने से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच यह एक नई चुनौती उभरी है। अधिक प्रभाव वाले जिलों में स्कूलों के खुलने से पहले ही बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सर्वाधिक प्रभाव फिरोज़ाबाद जिले में है। मथुरा, कासगंज, ऐटा, मैनपुरी, नोएडा, गाज़ियाबाद, मुजफ्फ़र नगर, शामली के अलावा सहारनपुर में अब तक बुख़ार से करीब 100 से अधिक लोगों मौतें हुई हैं। इनमें पचास प्रतिशत बच्चे हैं। सभी मामलों में तेज़ बुख़ार के साथ प्लेटलेट्स की संख्या में भारी गिरावट डिहाइड्रेशन, जोड़ों में दर्द, नज़ला ख़ांसी, तेज़ बुख़ार के लक्षण मिले हैं।

मथुरा में इस बुख़ार से तकरीबन नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कासगंज में तीन लोग जान गंवा चुके हैं। मरीज़ों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की भी कमी होने लगी है। फिरोज़ाबाद के ज़िला अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है। सहारनपुर के टपरी गांव में 04 लोगों की मौत हुई है। सीएमएस डॉ॰ आभा वर्मा का कहना है कि रोज़ाना 500 से अधिक मरीज़ा अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें आधे बच्चे हैं।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर **SHANTI MISSION**

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण

SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173